REVIEW

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2003-2004.

The Department of Women & Child Development, Haryana is implementing various schemes for women & child development under state and central sectors, with the assistance of international agencies, directly and through providing financial assistance to Haryana Women Development Corporation, Haryana State Social Welfare Advisory Board and Haryana State Commission for Women .

BUDGET

Originally, a budget allotment of Rs. 11823.24 lacs was made in the year 2003-2004 under various schemes and heads, which was revised to Rs.12322.80 lacs. The total expenditure incurred under different schemes and activities was to the tune of Rs. 12239.12 lacs out of which Rs. 1671.57 lacs were under State Plan, Rs. 5926.36 lacs under Central Plan and Rs. 4641.19 lacs under Non Plan heads.

Schemes and Programmes

The following programmes, schemes and activities were implemented during the year 2003-2004 for the welfare, development, advancement and empowerment of women and children:

Integrated Child Development Services Scheme is the biggest scheme of child development being implemented in 111 rural blocks and 5 urban blocks under which 8.97 lacs children between 6 months to 6 years of age and 2.32 lacs pregnant and nursing mothers were provided supplementary nutrition and other services through 13546 Anganwadi Centres. As many as 4.13 lacs children between 3-6 years of age were provided Non-Formal Pre-School Education as per report of ICDS for the month of March, 2004.

Under this scheme, a sum of Rs.9852.48 lac was spent, out of which Rs.4453.21 lacs were spent on providing supplementary nutrition to children below 6 years of age and pregnant and nursing mothers including Rs.278.96 lacs spent under Pradhan Mantri Gramodaya Yojna for providing supplementary nutrition to children below 3 years of age ,and expenditure of old Panjiri Plants.

Two Panjiri Plants, one at Gurgaon and the other at Gharaunda are producing nutritious panjiri for the beneficiaries of ICDS Scheme. During the year 2003-2004, 18682.88 quintals of panjiri was produced in these plants. For setting up a new Panjiri Plant in Food Park, Saha (District Ambala), a plot was got allotted from Haryana State Industrial Development Corporation during the year.

Under the Centrally Sponsored Training Project "UDISHA" for I.C.D.S. functionaries, a sum of Rs.83.84 lacs was released by Govt. of India during the year 2003-04, out of which Rs. 65.98 lacs were released to Anganwadi Workers Training Centres and one Middle Level Training Centre and Rs. 17.86 lacs were kept for I.E.C. activities and other trainings.

40 Anganwadi Workers were given State Level Awards @ Rs. 2500/- each for their exemplary performance in ICDS services during 2003-04.

The Govt. of India decided to provide insurance cover to the Anganwadi Workers and Helpers through an insurance scheme named Anganwadi Karyakatri Bima Yojna under the Life Insurance Corporation's Social Security Group Scheme. The Scheme will be effective from 1-4-2004 and is optional for the target group.

Various innovative strategies and approaches adopted earlier to improve the nutritional and health status of children, continued to be implemented during 2003-04 also. A Nutrition Strategy was implemented to combat the problem of malnutrition under which each Anganwadi Worker adopts 4 families for two months to provide comprehensive information and knowledge about child care, nutrition and health. Under this strategy 330907 children were covered during the year. To ensure public participation in ICDS programme, a strategy was continued for creating awareness among members of Gram Panchayats/Gram Sabhas/Municipal Councils about the benefits of ICDS and as a result of which 6012 Panchayats passed resolutions showing their commitment to participate and contribute to ICDS services. To strengthen nutrition and health education component of ICDS scheme and to create awareness among the people , an innovative approach has been adopted under which theme based Calendar of Activities has been prepared according to which activities will be undertaken in different meetings and occasions and Balika Mandals of Kishori Shakti Yojna.

A new scheme of Construction of Anganwadi Buildings was launched in the year 2002-03. During the year 2003-04, Govt. of India released a sum of Rs. 343.67 lacs for construction of 408 Model Anganwadi Centres and the State Govt. released Rs. 295.92 lacs to complete the work.

Kishori Shakti Yojna was implemented in 85 ICDS Projects in the state to improve health and nutritional status of adolescent girls and equip them with life development skills. Under this scheme a sum of Rs. 319.07 lacs was spent, out of which Rs. 290.12 lacs were spent as State Govt. share on providing supplementary nutrition. As many as 32433 girls were provided supplementary nutrition and 38240 girls were provided training in life development skills in different subjects.

The implementation of the pilot project "Special Additional Central Assistance" was started in Ambala and Yamuna Nagar districts to provide 6 Kg. of wheat to pregnant and nursing mothers with body

weight less than 40 Kg. and adolescent girls with body weight less than 35 Kg. free of cost for three continous months through PDS shops. The Govt. of India released a sum of Rs. 98.44 lacs during the year 2003-04 and out of which the State Govt. sanctioned Rs.52.32 lacs to cover 36438 identified beneficiaries.

During the year, Jawahar Bal Bhawan, Bhiwani was also sanctioned grant-in-aid of Rs.0.10 lac

The scheme of Apni Beti Apna Dhan continued to be implemented during the year 2003-2004 under which 52501 mothers were provided assistance @ Rs.500/- and a sum of Rs.267.82 lacs was spent under this scheme.

Under the centrally sponsored recast Balika Samridhi Yojna, 7441 girls belonging to the families below the poverty line were provided Post Birth Grant @ Rs.500/- each during the year.

"Swayamsidha" an integrated scheme for women's empowermernt was implemented in 13 sanctioned blocks where 1054 Self Help Groups of women have been formed. Steps have been initiated to strengthen the Self Help Groups through capacity building trainings in the areas of self defence, confidence building, legal literacy, accounts keeping and gender sensitisation for their smooth functioning and sustainability. Upto the year 2003-04, Govt. of India released a sum of Rs. 117.38 lacs under this scheme whereas a sum of Rs. 86.85 lacs was actually spent.

Financial assistance in the shape of grant- in- aid to the tune of Rs. 57.00 lacs was given to Voluntary Organisations for running training centres for women and child welfare activities under the schemes of Training Cum Production Centres for Women and Financial Assistance to Voluntary Organisations.

For effective implementation of the Dowry Prohibition Act, the new Dowry Rules were notified in Feb, 2003. Further steps have been taken to implement the Dowry Prohibition Act more effectively. The State Govt. designated the Director, Women and Child Development Department, Haryana as the Chief Dowry Prohibition Officer and all the Sub Divisional Magistrates and City Magistrates have been appointed as Dowry Prohibition Officers. It has also been decided to celebrate November 26 as Dowry Prohibition Day.A three members Ministerial Committee was constituted to suggest modifications as appropriate in the Dowry Act in its application to Haryana. A sum of Rs. 19.80 lacs was released to all the Dowry Prohibition Officers in the state for organizing activities/functions to create awareness among the people and students of schools/colleges/ educational institutions.

Activities for awareness generation against social evils like dowry, female foeticide and child marriage were also organized apart from the publicity of the departmental schemes made through posters and pamphlets brought out by the Public Relations Department, Haryana and through press notes etc.

During the year 2003-2004, the State Govt. sanctioned a sum of Rs 3.50 lacs to Red Cross Society, Yamunanagar as state share for meeting expenses of under construction Working Women Hostel at Jagadhari.

The department implemented various schemes for creating awareness amongst rural women for their development and empowerment by encouraging and promoting Mahila Mandals. During the year 2003-2004, 1592 Mahila Mandals were provided financial assistance to the tune of Rs. 12.13 lacs under the scheme of Promotion and Strengthening of Mahila Mandals. Apart from this Rs. 3.52 lacs were given to Women Awareness and Management Academy, Rai for imparting training to office bearers of Mahila Mandals. 19 Mahila Sammelans at district level and similar number of sammelans at block level were organized. To provide incentives to Mahila Mandals for the good work done by them, 97 Mahila Mandals were provided cash awards. Six groups of members of Mahila Mandals were sent to other states under the scheme of Inter State Study Tours. On all these schemes, a sum of Rs.7.11 lacs was spent during 2003-2004.

UNFPA assisted Programme for Advancement of Gender Equality was implemented in Mohindergarh district upto December, 2003 during the year 2003-04, however, the programme will continue to be implemented in Rewari district upto December,2005. A sum of Rs. 73.03 lacs was spent during the year 2003-04 on different types of trainings, camps, visits, sammelans, meetings and workshops and other activities for empowerment of women.

The exercise of restructuring the staff of the department was undertaken. To avoid overlapping of services, it was approved by the State Government to adjust the staff working under Women Awareness Programme in the Integrated Child Development Services scheme, since the activities being done by this staff are now being carried out by the ICDS staff. After the adjustment of staff in the department some staff was also kept in the diminishing cadre apart from abolishing some posts.

The staff position at headquarter and in the field during the year 2003-2004 has been shown in the report at Annexure 'B' separately.

Haryana Women Development Corporation is functioning to provide vocational training and arrange institutional finance for self employment, to ameliorate the socio-economic conditions of women. During the year 2003-04, the Government provided financial assistance to the Corporation worth Rs 200.00 lacs out of which Rs 90.00 lacs were for subsidy, Rs. 35.00 lacs for share capital and Rs.75.00 lacs for administrative expenses. During the year 2003-2004, 2021 women were covered under the loaning scheme being implemented by the Corporation and 300 women were given vocational training.

World Bank/IFAD assisted Swa-Shakti Project known as Rural Women's Development and Empowerment Project with a total outlay of Rs.16.88 crores is being implemented through Women

Development Corporation in three districts namely Sonepat, Jind and Bhiwani. Under this project 1410 Self Help Groups of women were in existence during the year 2003-04. Under this project, various types of activities were undertaken for awareness generation which include exposure visits, theme camps, puppet/ street shows etc. For economic empowerment of women they were imparted trainings in On-Farm and Off-Farm activities and 2891 women were involved in different economic activities .During the year 2003-04 , a sum of Rs. 91.35 lacs was spent under this project on various activities.

A State Training Institute called "WAMA" Women's Awareness and Management Academy, upgraded as 'Regional Level Gender Training Institute' is being run at Rai (Sonepat) for providing training to grass root level women workers and training on gender sensitization

The State Govt. set up Haryana State Commission for Women in the year 1999-2000. This Commission held 19 meetings at block level for hearing complaints of women victims of atrocities to redress their grievances and also provided guidance and counseling services. The Commission also held its four bi-monthly meetings. The Commission received 1555 complaints and took action on 1198 complants in hearing meetings. A sum of Rs. 22.00 lacs was given to the Commission during 2003-04 by the State Govt.

During the year, grant-in-aid worth Rs.194.28 lacs was released to the Haryana State Social Welfare Advisory Board for 9 Family & Child Welfare Projects, which have since been closed, and for headquarter establishment expenditure.

During 2003-04, 67 project proposals of Voluntary Organisations were sent for sanction under Grant-in-Aid schemes namely Swadhar, Short Stay Home and Swavlamban of GOI.

This, in brief, highlights the different activities and achievements of the Women & Child Development Department, Haryana. This review may be published in the Government Gazette and its copies thereof, alongwith report be sent to Govt. of India and concerned Departments/Institutions for information.

(S.P. Sharma)
Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana, Women & Child Development Department.

Chandigarh, dated
The:

समीक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2003–2004 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा ।

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, महिला एवं बाल विकास की अनेक योजनाएं राज्य व केन्द्रीय स्तर में तथा अंर्तराश्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से सीधे तौर पर तथा हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा हरियाणा राज्य महिला आयोग को वित्तीय सहायता देकर लागू कर रहा है ।

<u>बजट</u>

विभिन्न योजनाओं एवं षीर्शो के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 के मूल बजट में 11823.24 लाख रू0 निर्धारित किए गए थे जोकि संषोधित करके 12322.80 लाख रू0 किया गया। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों पर कुल 12239.12 लाख रू0 की राषि का व्यय किया गया जिसमें 1671.57 लाख रू0 की राषि स्टेट प्लान, 5926.36 लाख रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 4641.19 लाख रू0 नान प्लान षीर्शो के अन्तर्गत थे।

योजनाएं एवं कार्यक्रम

वर्ष 2003–04 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास, प्रगति एवं सषक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम, योजनाएं एवं गतिविधियां लागू की गई हैं :–

समेकित बाल विकास सेवायें योजना जोकि बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है, 111 ग्रामीण खण्डों एवं 5 शहरी खण्डों में लागू रही, जिसके अन्तर्गत 13546 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 8. 97 लाख 6 मास से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं 2.32 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार एवं अन्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। आई. सी. डी. एस. योजना की मास मार्च, 2004 की रिपोर्ट के अनुसार 3 से 6 वर्ष आयु के 4.13 लाख बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान की गई ।

इस योजना के अन्तर्गत 9852.48 लाख रूपये की राशि व्यय की गई, जिसमें से 4453.21 लाख रू0 6 वर्श से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार देने

पर व्यय किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 3 वर्श से कम आयु के कुपोशित बच्चों को पूरक पोशाहार देने के लिए 278.96 लाख रूपये का व्यय, तथा पुराने पंजीरी प्लांटों का व्यय भी षामिल है।

समेकित बाल विकास सेवायें योजना के लाभपात्रों के लिए दो पंजीरी प्लॉट एक गुड़गाँव तथा दूसरा घरौण्डा में पौष्टिक पंजीरी का उत्पादन कर रहे हैं । वर्ष 2003–04 के दौरान इन प्लॉटों में 18682.88 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन कया गया । वर्श के दौरान एक नया पंजीरी प्लांट फूड पार्क, साहा (अम्बाला) में स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम से एक प्लाट आबंटित करवाया गया।

आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना के कार्यकर्ताओं के लिए केन्द्रीय प्रयोजित प्रशिक्षण प्रोजैक्ट ''उदीशा'' के अन्र्तगत भारत सरकार द्वारा वर्श 2003–2004 के दौरान 83.84 लाख रूपये जारी किए गए, जिसमें से 65.98 लाख रू0 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रषिक्षण केन्द्रों एवं एक मध्य स्तरीय प्रषिक्षण केन्द्र को जारी किए गए तथा 17.86 लाख रू0 आई.ई.सी. गतिविधियों व अन्य प्रषिक्षणों के लिए रखे गये।

वर्श 2003–04 में आई.सी.डी.एस. सेवाओं में अनुकरणीय कार्य करने के दृश्टिगत 40 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2500/– रू0 की दर से राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गये हैं ।

भारत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों को भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह योजना के अन्तर्गत 'आंगनवाड़ी कार्यकत्री' बीमा योजना नामक योजना के माध्यम से कवर करने का निर्णय लिया है । यह योजना 1–4–2004 से प्रभावी होगी तथा लक्षित समूह के लिए वैकल्पिक है।

बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोशण स्तर में सुधार लाने के लिये कई नई पद्धतियां एवं तरीके जो पहले अपनाए गए थे, वर्श 2003–04 में भी लागू रहे। कुपोशण की समस्या से निपटने के लिये एक पोशण पद्धति लागू रही जिसके अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2 मास के लिये 4 परिवार अपनाकर बाल देखभाल, पोशाहार एवं स्वास्थ्य आदि बारे व्यापक जानकारी प्रदान करती है । इस पद्धति के अन्तर्गत वर्श के दौरान 330907 बच्चों को कवर किया गया। आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी सुनिष्चित करने के लिये ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं/नगर परिशदों के सदस्यों को आई.सी.डी.एस. योजना के लाभों के प्रति जागृति उत्पन्न करने की पद्धति लागू रही जिसके फलस्वरूप आई.सी.डी.एस. में भागीदारी एवं योगदान करने के संकल्प के रूप में 6012 पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किए। समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के पोशाहार एवं स्वास्थ्य घटक को सुदृढ़ करने एवं लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए एक

नवीन पद्धति अपनाई गई है जिसके अन्तर्गत विशय आधारित गतिविधियों का एक कलैण्डर बनाया गया है जिसके अनुसार गतिविधियां विभिन्न सभाओं, अवसरों तथा किषोरी षक्ति योजना के बालिका मण्डलों में आयोजित की जाएंगी।

वर्श 2002–03 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की एक नई योजना षुरू की गई । वर्श 2003–04 में भारत सरकार द्वारा 408 मॉडल आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 343.67 लाख रू0 तथा राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 295.92 लाख रू0 जारी किए गए।

किषोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोशण स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें जीवन–विकास निपुणताओं से सुसज्जित करने के लिए राज्य के 85 आई. सी. डी. एस. प्रोजैक्टों में किषोरी षक्ति योजना चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत 319.07 लाख रू0 की राशि व्यय हुई जिसमें से पूरक पोशाहार प्रदान करने पर राज्य सरकार के हिस्से के रूप में 290.12 लाख रू0 व्यय किए गए । योजना के अन्तर्गत 32433 लड़कियों को पूरक पोशाहार एवं 38240 लड़कियों को विभिन्न विशयों पर जीवन विकास निपुणताओं पर प्रषिक्षण दिया गया।

अम्बाला तथा यमुनानगर जिलों में पायलेट प्रोजैक्ट 'विषेश अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता' लागू करना प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत 40 कि0 ग्राम से कम वजन वाली गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं व 35 कि0ग्रा0 से कम वजन वाली किषोरी बालिकाओं को जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से 6 कि0ग्रा0 गेहूं 3 लगातार महीनों तक निःषुल्क दिया जाना है। भारत सरकार द्वारा वर्श 2003–04 के दौरान 98.44 लाख रू0 जारी किए गए जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 36438 चयनित लाभपात्रों को कवर करने के लिए 52.32 लाख रू0 स्वीकृत किए गए।

वर्श में जवाहर बाल भवन, भिवानी को भी 0.10 लाख रू0 की राशि का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया ।

वर्श 2003–04 में 'अपनी बेटी – अपना धन' स्कीम लागू रखना जारी रखा गया जिसके अन्तर्गत 52501 माताओं को 500/– रूपये की दर से सहायता प्रदान की गई तथा इस योजना के अन्तर्गत 267.82 लाख रू0 की राषि व्यय की गई है ।

वर्श के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित परिषोधित बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंध रखने वाली 7441 बालिकाओं को 500/–रू0 की दर से जन्म उपरान्त ग्रांट प्रदान की गई ।

महिलाओं के सषक्तिकरण की एक समेकित योजना 'स्वयंसिद्धा' को 13 स्वीकृत खण्डों में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं के 1054 स्वयं सहायता समूह बनाये गये हैं। स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षमता निर्माण प्रषिक्षण जैसा कि स्व–रक्षा, विष्वास निर्माण, कानूनी साक्षरता, लेखा रख–रखाव तथा जैण्डर संवेदनषीलता क्षेत्रों में प्रषिक्षण के लिए कदम उनके समुचित संचालन एवं उन्हें टिकाउ बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। वर्श 2003–04 तक भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 117.38 लाख रू0 की राषि जारी की गई, जबकि वास्तविक व्यय 86.85 लाख रू0 का हुआ ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान के रूप में 57.00 लाख रू0 की वित्तीय सहायता महिलाओं के लिए प्रषिक्षण केन्द्र चलाने तथा बाल कल्याण गतिविधियां चलाने के लिए महिलाओं के लिए प्रषिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई ।

दहेज प्रतिशेध अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये इस अधिनियम के अंतर्गत नए नियम फरवरी, 2003 में अधिसूचित किए गए । दहेज प्रतिशेध अधिनियम को ओर अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए गए। राज्य सरकार ने निदेषक, महिला एवं बाल विकास विभाग को मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी नामांकित किया है तथा सभी उपमण्डल न्यायाधीषों व सभी नगराधीषों को दहेज प्रतिशेध अधिकारी नियुक्त किया है। 26 नवम्बर को दहेज प्रतिशेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। राज्य में लागू दहेज प्रतिशेध अधिनियम में उपयुक्त संषोधन के लिए सुझाव देने हेतू 3 सदस्यों की एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया। सभी दहेज प्रतिशेध अधिकारियों को राज्य में लोगों में व स्कूलों, कालिजों व अन्य षैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों में दहेज के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए गतिविधियां/समारोह आयोजित करने हेतू 19.80 लाख रू0 की राषि जारी की गई हैं।

सामाजिक बुराईयों जैसा कि दहेज, कन्या भ्रूण हत्या तथा बाल विवाह के प्रति जागृति जागरण की गतिविधियों से अतिरिक्त विभागीय योजनाओं का प्रचार लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाषित करवाए गए पोस्टर/पम्फलैट के द्वारा तथा प्रैस नोट आदि जारी करके किया गया।

वर्ष 2003–04 में कामकाजी महिला आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रैडक्रास सोसायटी, यमुनानगर को जगाधरी में निर्माणाधीन महिला होस्टल के खर्चे को पूरा करने के लिए राज्य हिस्से के रूप में 3.50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई ।

विभाग द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने के लिए कई योजनाएं लागू करके महिला मण्डलों को प्रोत्साहित एवं विकसित किया गया । वर्ष 2003–04 के दौरान महिला मण्डलों को उन्नत एवं सुदृढ़ बनाने की योजना के अन्तर्गत 1592 महिला मण्डलों को 12.13 लाख रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई । इसके अतिरिक्त महिला मण्डलों के पदाधिकारियों को प्रषिक्षण देने के लिए वूमैन एवेयरनेस एण्ड मेनजमैंट एकादमी, राई को 3.52 लाख रू0 दिए गए। 19 जिला स्तरीय महिला सम्मेलन व इतने ही खण्ड स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया । महिला मण्डलों को उन द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 97 महिला मण्डलों को नगद ईनाम दिये गए । अन्तर्राज्जीय अध्ययन दौरा योजना के अन्तर्गत महिला मण्डलों के सदस्यों के 6 समूहों को दूसरे राज्यों में भेजा गया। वर्ष 2003–04 के दौरान इन सभी योजनाओं पर 7.11 लाख रू0 व्यय किए गए ।

संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या कोश से सहायता प्राप्त प्रोग्राम फार एडवांसमैंट आफ जैण्डर इक्विलिटी (पेज) कार्यक्रम वर्श 2003–04 के दौरान महेन्द्रगढ़ जिले में दिसम्बर, 2003 तक लागू रहा तथा रिवाड़ी जिले में दिसम्बर,2005 तक लागू रहेगा। वर्श 2003–04 के दौरान महिलाओं के सषक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रषिक्षण, कैम्पस, भ्रमण, सम्मेलन, सभाओं, कार्यषालाओं व अन्य गतिविधियों पर 73.03 लाख रू0 की राषि व्यय की गई।

विभाग के अमले के युक्तिकरण की प्रक्रिया की गई । गतिविधियों की परस्पर–व्याप्ति से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिला जागृति कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ को समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत समायोजित करने की कार्यवाही सरकार से अनुमोदित हुई क्योंकि इस अमले द्वारा की जा रही गतिविधियां अब आई.सी.डी.एस. स्टाफ द्वारा की जा रही हैं। विभाग में पदों की उपलब्धतता के दृश्टिगत समायोजन उपरान्त कुछ अमले को घटते कैडर में रखा गया है तथा कुछ पदों को समाप्त किया गया है।

विभाग की वर्ष 2003–04 के दौरान मुख्यालय एवं क्षेत्र में जो अमले की स्थिति थी, उसका उल्लेख रिपोर्ट के परिशिष्ट–'ख' पर अलग से किया गया है ।

महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यशील है जो कि व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्व–रोजगार के लिए संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करती है । वर्ष 2003–04 में सरकार द्वारा इस निगम को 200.00 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें से 90.00 लाख रूपए सबसीडी, 35.00 लाख रू0 हिस्सा पूंजी व 75.00 लाख रू0 प्रशासकीय

व्यय के लिए थे। वर्ष 2003–04 के दौरान निगम द्वारा संचालित ऋण योजना के अन्तर्गत 2021 महिलाओं को कवर किया गया तथा 300 महिलाओं को व्यवसायिक प्रषिक्षण प्रदान किया गया।

विश्व बैंक/आई॰एफ॰ए॰डी॰ की सहायता से 16.88 करोड़ रू0 की कुल लागत वाली स्व–शक्ति परियोजना जिसे ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना कहा जाता है, हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से सोनीपत, जीन्द एवं भिवानी जिलों में चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्श 2003–04 में महिलाओं के 1410 स्वयं सहायता समूह अस्तित्व में थे। इस परियोजना के अन्तर्गत जागृति जागरण के लिये विभिन्न गतिविधियां जैसा कि अवलोकन यात्राएं, थीम कैम्प, कठपुतली/नुक्कड़ नाटक इत्यादि आयोजित किये गये। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सषक्त बनाने के लिये उन्हें कृशि व गैर कृशि कार्यक्लापों में प्रषिक्षण दिलवाया गया तथा 2891 महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में षामिल किया गया। वर्श 2003–2004 के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर 91.35 लाख रू0 व्यय किए गए।

एक राज्य प्रशिक्षण संस्थान जिसे ''वामा'' वूमैन एवेयरनैस एण्ड मेनेजमैंट एकादमी कहा जाता है, जिसे अपग्रेड करके 'क्षेत्रीय स्तरीय जैण्डर प्रषिक्षण संस्थान' बनाया गया है, राई (सोनीपत) में आधारभूत महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण व जैण्डर संवेदनषीलता पर प्रषिक्षण देने के लिए चलाया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा वर्श 1999–2000 में हरियाणा राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया। अत्याचारों की शिकार महिलाओं के कश्टों के निदान के लिये उनकी षिकायतों की सुनवाई हेतू आयोग ने 19 खण्ड स्तरीय बैठकें की जिनमें उनको मार्गदर्षन एवं परामर्ष भी दिए गए। आयोग ने अपनी 4 द्विमासिक बैठकें भी आयोजित की। आयोग में 1555 षिकायतें प्राप्त हुई तथा सुनवाई सभाओं में 1198 षिकायतों पर कार्यवाही की गई। वर्श 2003–04 में राज्य सरकार द्वारा इस आयोग को 22.00 लाख रू0 की राषि प्रदान की गई।

वर्श के दौरान हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को 9 परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाएं, जो अब बन्द हो चुकी हैं व मुख्यालय स्थापना के व्यय के लिए 194.28 लाख रूपये का सहायक अनुदान जारी किया गया ।

वर्श 2003–04 में भारत सरकार की सहायक अनुदान योजनाओं, स्वाधार, षार्ट स्टे होम व स्वावलम्बन के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के 67 प्रोजेक्ट प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे गए।

यह संक्षिप्त महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों को दर्शाता है । इस पुर्ननिरीक्षण को सरकारी राजपत्र में मुद्रित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ रिपोर्ट सहित भारत सरकार तथा संबंधित विभागों/संस्थाओं को सूचनार्थ भेज दी जाएं ।

(एस॰पी॰शर्मा)

चण्डीगढ़, दिनांक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

महिला एवं बाल विकास विभाग ।

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्श 2003–04 की वार्शिक प्रषासनिक रिपोर्ट।

महिलाओं एवं बच्चों के समुचित विकास के लिए तथा उनसे सम्बन्धित योजनाओं को विस्तृत रूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्वतन्त्र महिला एवं बाल विकास विभाग सृजित किया गया जो कि 1–4–92 से कार्यरत है। इस विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित कई योजनाएं वर्श 2003–04 के दौरान राज्य स्तर व केन्द्र स्तर पर सीधे नियन्त्रण में तथा इसके सरंक्षण में कार्य कर रहे हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा हरियाणा महिला आयोग को वित्तीय सहायता देकर एवं अन्य एजैंसियों के माध्यम से चलाने के साथ–2 अन्तर्राश्ट्रीय संस्था संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या कोश तथा विष्व बैंक/आई.एफ.ए.डी. की वित्तीय सहायता से चलाई गई। वर्श 2003–04 के दौरान जो योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये गए, उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से दिया गया है :–

बजट व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के वर्श 2003–04 के बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए मूल बजट में कुल 11823.24 लाख रू0 की राषि की व्यवस्था की गई थी। इस राषि में से 2500.00 लाख रू0 स्टेट प्लान, 5157.70 लाख रू0 सैन्ट्र्ल प्लान तथा 4165.54 लाख रू0 नान प्लान षीर्शो के अन्तर्गत थे। विभाग का संषोधित बजट अनुमान 12322.80 लाख रू0 था, इसमें से 1800.00 लाख रू0 स्टेट प्लान, 5881.09 लाख रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 4641.71 लाख रू0 नान प्लान षीर्शों में थे। वर्श 2003–04 में स्टेट प्लान के अन्तर्गत 1671.57 लाख रू0, सैन्ट्र्ल प्लान में 5926.36 लाख रू0 तथा नॉन प्लान के अन्तर्गत 4641.19 लाख रू0 अर्थात कुल 12239.12 लाख रू0 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किये गए। वर्श 2003–04 का स्कीम अनुसार बजट व्यवस्था एवं व्यय विवरण परिषिश्ट 'क' पर दिया गया है।

योजनाएं एवं कार्यक्रम

1– समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना राज्य में बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है। बच्चों के सर्वागींण विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अन्तर्गत 6 वर्श से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15–45 वर्श आयु की अन्य महिलाओं को पूरक

पोशाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पोशाहार षिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल षिक्षा की सेवाऐं समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देष्य हैंः–

1 6 वर्श आयु तक के बच्चों की पोशण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।

2 बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, षारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।

3 मृत्युत्ता, मानसिक अस्वस्थता, कुपोशण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना।

4 बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना और

5 उचित पोशाहार और स्वास्थ्य षिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोश्टिक आवष्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

वर्श 2003–04 में यह योजना 116 खण्डों में चलाई गई जिनमें 111 ग्रामीण खण्ड एवं 5 षहरी खण्ड षामिल हैं।

आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या का जिलावार व्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

जिला	खण्ड/परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		स्वीकृत	चालू
1–अम्बाला	1– बराड़ा	190	190
	2– अम्बाला(ग्रामीण)	160	160
	3–अम्बाला (षहरी)	83	83
	4– नारायणगढ़	139	139
	कुल	**572**	**572**
2– पंचकूला	5– रायपुररानी	98	98
	6– बरवाला	59	59
	7– पिंजौर	92	92
	8– मोरनी	46	46
	कुल	**295**	**295**
3– भिवानी	9– कैरू	74	74
	10– बाढड़ा	123	123
	11– भिवानी	197	197
	12 बवानीखेड़ा	149	149

जिला	खण्ड/परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		स्वीकृत	चालू
	13– दादरी–I	142	142
	14– लौहारू	133	133
	15– तोषाम	95	95
	16– दादरी–II	111	111
	17– सिवानी	82	82
	कुल	**1106**	**1106**
4– फरीदाबाद	18–फरीदाबाद(षहरी)	184	184
	19– हथीन	150	150
	20– बल्लभगढ़	125	125
	21–फरीदाबाद(ग्रामीण)	98	98
	22– होडल	142	142
	23– पलवल	181	181
	कुल	**880**	**880**
5– गुड़गांव	24–फिरोजपुर झिरका	93	93
	25– पुन्हाना	125	125
	26– सोहना	100	100
	27– गुड़गांव	150	150
	28– तावडू	100	100
	29– नूंह	140	140
	30– नगीना	93	93
	31– पटौदी	98	98
	32– फरूखनगर	83	83
	कुल	**982**	**982**
6– हिसार	33– आदमपुर	85	85
	34– नारनौंद	116	116
	35– उकलाना	91	91
	36– अग्रोहा	85	85
	37– हिसार–I	129	129

जिला	खण्ड/परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		स्वीकृत	चालू
	38– हिसार–II	113	113
	39– हांसी–I	166	166
	40– हांसी–II	86	86
	41– बरवाला	123	123
	कुल	**994**	**994**
7– जीन्द	42– उचाना	145	145
	43– अलेवा	75	75
	44– पिल्लूखेड़ा	69	69
	45– जुलाना	107	107
	46– नरवाना	171	171
	47– सफीदों	97	97
	48– जीन्द(ग्रामीण)	142	142
	कुल	**806**	**806**
8– कैथल	49– कलायत	100	100
	50– राजौंद	98	98
	51– पूण्डरी	172	172
	52– गुहला	146	146
	53– कैथल	179	179
	कुल	**695**	**695**
9– कुरूक्षेत्र	54– लाडवा	85	85
	55– पेहवा	138	138
	56– षाहबाद	140	140
	57– थानेसर	153	153
	58– बबैन	56	56
	कुल	**572**	**572**
10– महेन्द्रगढ़	59– अटेली	109	109
	60– नांगल चौधरी	131	131
	61– कनीना	136	136

जिला	खण्ड / परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		स्वीकृत	चालू
	62— महेन्द्रगढ़	144	144
	63— नारनौल	111	111
	कुल	**631**	**631**
11— रिवाड़ी	64— रिवाड़ी (षहरी)	55	55
	65— जाटुसाना	121	121
	66— खोल	107	107
	67— बावल	124	124
	68— नाहड़	87	87
	69— रिवाड़ी (ग्रामीण)	133	133
	कुल	**627**	**627**
12— रोहतक	70— चिड़ी	61	61
	71— कलानौर	122	122
	72— महम	129	129
	73— रोहतक (ग्रामीण)	137	137
	74— रोहतक (षहरी)	124	124
	75— सांपला	80	80
	कुल	**653**	**653**
13— सिरसा	76—रानियां	98	98
	77—डबवाली	117	117
	78—औढ़ां	77	77
	79— नाथुसरी चौपटा	117	117
	80— माधोसिघांना एट सिरसा	126	126
	81— बड़ागुढ़ा	94	94
	82— ऐलनाबाद	85	85
	कुल	**714**	**714**
14— पानीपत	83—पानीपत (षहरी)	67	67
	84— मतलौडा	98	98
	85— पानीपत (ग्रामीण)	103	103

जिला	खण्ड/परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		स्वीकृत	चालू
	86– समालखा	101	101
	87– इसराना	96	96
	88– बापौली	85	85
	कुल	**550**	**550**
15– सोनीपत	89– गन्नौर	154	154
	90– खरखौदा	134	134
	91– कथूरा	70	70
	92– गोहाना	108	108
	93– राई	127	127
	94– सोनीपत(ग्रामीण)	166	166
	95– मुडलाना	105	105
	कुल	**864**	**864**
16– करनाल	96– असन्ध	148	148
	97– निसिंग	134	134
	98– नीलोखेड़ी	125	125
	99 करनाल	137	137
	100–घरौण्डा	133	133
	101– इन्द्री	108	108
	कुल	**785**	**785**
17– यमुनानगर	102– छछरौली	140	140
	103–बिलासपुर	115	115
	104– रादौर	95	95
	105– सढौरा	55	55
	106– जगाधरी	180	180
	कुल	**585**	**585**
18– फतेहाबाद	107– रतिया	130	130
	108– फतेहाबाद	132	132
	109– टोहाना	140	140

जिला	खण्ड/परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		स्वीकृत	चालू
	110– भट्टूकलां	85	85
	111– भूना	93	93
	कुल	**580**	**580**
19– झज्जर	112– डीघल	118	118
	113– झज्जर	151	151
	114– बहादुरगढ़	224	224
	115– साल्हावास	82	82
	116– मातनहेल	80	80
	कुल	**655**	**655**
	कुल योग	**13546**	**13546**

जिलावार आनरेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का

विवरण निम्न प्रकार है :– (मार्च,2004 की स्थिति)

क्र. स.	जिला का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता		आंगनवाड़ी सहायिका	
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	अम्बाला	572	560	572	567
2.	भिवानी	1106	1088	1106	1056
3.	फरीदाबाद	880	876	880	880
4.	गुड़गांव	982	974	982	926
5.	हिसार	994	988	994	990
6.	जीन्द	806	800	806	806
7.	कुरूक्षेत्र	572	572	572	572
8.	करनाल	785	782	785	783

9.	नारनौल	631	623	631	631
10.	पानीपत	550	546	550	549
11.	पंचकुला	295	295	295	295
12.	रोहतक	653	649	653	653
13.	रेवाड़ी	627	626	627	627
14.	सोनीपत	864	844	864	864
15.	सिरसा	714	705	714	714
16.	यमुनानगर	585	578	585	585
17.	फतेहाबाद	580	573	580	580
18.	झज्जर	655	653	655	647
19.	कैथल	695	692	695	694
	कुल	**13546**	**13424**	**13546**	**13419**

116 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में कुल 13546 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र हैं तथा यह सभी 13546 केन्द्र वर्श के दौरान कार्यरत रहे हैं, जिनमें 5 षहरी परियोजनाओं के 513 आंगनवाड़ी केन्द्र भी षामिल हैं। मास मार्च, 2004 की आई0सी0डी0एस0 मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 116 परियोजनाओं में 13546 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 896907 छः मास से छः वर्श आयु तक के बच्चों जिसमें 417067 लड़कियां हैं, को तथा 109629 गर्भवती महिलाओं एवं 122845 दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोशाहार दिया गया। पूरक पोशाहार में खाने के लिए तैयार पोशाहार जैसा कि अल्पाहार खील–चना स्वीट, अल्पाहार मिक्सड स्वीट, एनर्जी अल्पाहार, रोस्टिड ग्राउंड नट षैल्ड नमकीन, नमकीन पोश्टिक मिक्सचर एवं पंजीरी इत्यादि माताओं और बच्चों को वितरित किए गए।

बच्चों को पूरक पोशाहार 1.43 रू0 तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को 2.50 रू0 प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से दिया गया जबकि अति कुपोशित बच्चों को 2.86 रू0 प्रतिदिन प्रति बच्चा की दर से पूरक पोशाहार दिया गया।

3–6 वर्श के 413034 बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूली षिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया।

वर्श के दौरान आगंनवाड़ियों के 381474 बच्चों को पोलियो, 380524 बच्चों को डी.पी.टी, 389162 बच्चों को बी.सी.जी., 367064 बच्चों को मीज़ल के टीके लगवाए गए तथा 361573 गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके लगवाए गए।

महिलाओं में बच्चों एवं माताओं की स्वास्थ्य एवं पोशाहार की आवष्यकताओं एवं महत्व के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए 15–45 वर्श आयु की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोशाहार षिक्षा आंगनवाड़ियों के माध्यम से विभिन्न तरीकों से प्रदान की गई। वर्श 2003–04 में 756 कैम्प एवं माताओं की 11662 बैठकें 3807 बाल विकास सभाएं तथा 4662 ग्रामीण स्तरीय बैठकें आयोजित की गई।

आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं की उपलब्धियों का जिलावार व्यौरा निम्न प्रकार से दर्षाया गया हैः–

क्र. स.	जिला का नाम	पूरक पोशाहार के लाभपात्र		अनौपचारिक पूर्व स्कूली षिक्षा में 3–6 वर्श आयु के बच्चे	टीकाकरण				
		बच्चे 6 मास से 6 वर्श तक	महिलाएं गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताएं		बच्चे				गर्भवती महिलाएं
					पोलियो	डी0पी0टी0	बी0 सी0 जी0	मीजल्स	टी0 टी0
1	अम्बाला	41540	10961	15204	14288	14288	13999	13887	13357
2	भिवानी	72808	17950	33373	32220	32220	32240	31930	34821
3	फरीदाबाद	66300	17176	30272	23072	22815	24316	22514	20345
4	गुड़गांव	71867	17766	36086	31610	31610	33574	31092	28121
5	हिसार	62921	16203	32603	27023	27023	27776	25681	26375
6	जीन्द	51599	13071	24659	23920	23920	25512	23804	25455
7	कुरूक्षेत्र	36160	9592	14100	14872	14179	14445	13276	11822
8	करनाल	56767	14522	25944	19901	19901	22056	18236	19131
9	महेन्द्रगढ़	34787	10045	16161	20138	20138	19501	19436	19591
10	पानीपत	38482	10830	18624	16690	16690	17693	15669	15795
11	पंचकुला	18118	4555	7137	5745	5745	6110	6565	8053
12	रोहतक	40518	11352	18602	21433	21433	21391	19988	19332
13	रिवाड़ी	40542	10034	14871	17980	17980	16995	17854	16570
14	सोनीपत	52132	14132	25348	25254	25254	25596	24918	24011
15	सिरसा	47990	11788	23266	21098	21098	20396	19641	19773
16	यमुनानगर	37089	10268	14342	13944	13944	14331	14041	13082
17	फतेहाबाद	37905	9328	19344	15393	15393	15364	14990	16483

18	झज्जर	42460	11016	20019	18106	18106	18021	17603	14010
19	कैथल	46922	11885	23079	18787	18787	19846	15939	15446
	कुल	**896907**	**232474**	**413034**	**381474**	**380524**	**389162**	**367064**	**361573**

क. पल्स पोलियो

राज्य में पोलियो की बीमारी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 6.4.2003, 1.6. 2003, 14.9.2003, 9.11.2003, 4.1.2004 व 22.2.2004 को पल्स पोलियो अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्श आयु के क्रमषः 1912091, 1903781, 1916460, 1899180, 1806177 तथा 1804995 बच्चों को आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोलियो की खुराक पिलवाई गई। यह खुराकें स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं के सहयोग से पिलाई गई।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पल्स पोलियो की खुराक पिलाये गये बच्चों की जिलावार संख्या का विवरणः–

वर्श 2003–2004

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रथम चरण 6–4–03	द्वितीय चरण 1–6–03	तृतीय चरण 14–9–03	चतुर्थ चरण 9–11–03	पांचवां चरण 4–1–04	छठा चरण 22–2–04
1	अम्बाला	65603	68207	69959	69567	70112	69878
2	भिवानी	144929	144952	138939	138629	136288	137850
3	फरीदाबाद	133605	136665	135785	133349	135958	132112
4	गुड़गांव	170678	163163	163931	161358	164339	166289
5	हिसार	123126	121485	124566	122770	118013	120443
6	जीन्द	138210	140284	126480	127228	139695	138848
7	कुरूक्षेत्र	72615	72687	67041	65783	66287	67513
8	करनाल	120297	118312	93872	94234	95106	95668
9	महेन्द्रगढ़	72763	73242	111300	73804	73880	74575
10	पानीपत	85152	84663	82352	84207	83247	85119
11	पंचकुला	32481	24432	29778	30522	31847	28995
12	रोहतक	83918	87206	85646	84983	85732	82694
13	रिवाड़ी	127222	127159	73411	72916	74783	74202
14	सोनीपत	120951	119237	133245	131910	119482	118719

15	सिरसा	70906	69569	134312	138337	67935	67969
16	यमुनानगर	60788	61500	63039	63192	63505	62463
17	फतेहाबाद	79355	80155	76381	77988	73776	73962
18	झज्जर	71631	71902	71292	68257	69662	69662
19	कैथल	137861	138961	135131	160146	136530	138034
	कुल	**1912091**	**1903781**	**1916460**	**1899180**	**1806177**	**1804995**

ख– दिवस एवं सप्ताह

वर्श 2003–2004 के दौरान राज्य में स्तनपान सप्ताह, राश्ट्रीय पोशाहार सप्ताह, बाल दिवस एवं अन्तर्राश्ट्रीय महिला दिवस आदि मनाए गए। इन अवसरों पर महिलाओं में बच्चों एवं महिलाओं के विशयों पर जागृति लाने के लिए समेकित बाल विकास योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई।

भारत सरकार द्वारा यह निर्देष दिए गए कि बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के विचार एवं अनुभव बारे तथ्य एकत्रित किए जाएं कि वह माता–पिता, अध्यापकों, समाज एवं सरकार से क्या आकांक्षाएं रखते हैं। बच्चों के विचारों एवं अनुभवों को एकत्रित करने के लिए राज्य में सभी कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देष दिए गए कि वह अपने–2 जिले में प्रसिद्ध स्थानों पर 3 मीटर तिरंगा कपड़ा लगाकर उनसे विचार लिखवाएं । 19 जिलों के बच्चों के विचार एक 56 मीटर लम्बे कपड़े पर भारत सरकार को भेजे गए। यह 56 मीटर कपड़ा देष की स्वतन्त्रता के 56 वर्शो को प्रदर्षित करता है ।

ग. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने एवं उनके स्वैच्छिक कार्य को मान्यता देने के उद्देष्य से भारत सरकार ने चुनिन्दा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी लगन एवं अनुकरणीय उपलब्धियों के आधार पर वार्शिक पुरस्कार देने की योजना षुरू की है। इसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2500/–रू0 का राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा 25000/–रू0 का राश्ट्रीय पुरस्कार तथा प्रषस्ति पत्र देने का प्रावधान है। पहले वर्शो की भांति वर्श 2003–04 में 2500/–रू0 की दर से निम्न प्रकार राज्य स्तरीय पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं:–

क.स.	जिले का नाम	परियोजनाओं के नाम	कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
1	अम्बाला	अम्बाला(ग्रा0), अम्बाला(ष0)	2

2	भिवानी	दादरी–1, लौहारू, भिवानी	3
3	फरीदाबाद	फरीदाबाद(ष0)	2
4	गुड़गांव	गुड़गांव, फरूखनगर	2
5	हिसार	उकलाना, बरवाला, हिसार–I	3
6	जीन्द	अलेवा, जीन्द(ग्रा0)	2
7	कुरूक्षेत्र	थानेसर, बबैन	2
8	करनाल	करनाल, घरौण्डा	2
9	महेन्द्रगढ़	नारनौल	2
10	पानीपत	बपौली, समालखा	2
11	पंचकुला	मोरनी,रायपुररानी	2
12	रोहतक	सांपला, रोहतक(ग्रा0)	2
13	रिवाड़ी	रिवाड़ी(ष0), नाहड़	2
14	सोनीपत	गोहाना, राई	2
15	सिरसा	औढां, ऐलनाबाद	2
16	यमुनानगर	सढौरा, छछरौली	2
17	फतेहाबाद	फतेहाबाद, टोहाना	2
18	झज्जर	बहादुरगढ़	2
19	कैथल	राजौंद, पुण्डरी	2
	कुल		**40**

इस वर्श में एक राश्ट्रीय पुरस्कार के लिए 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नामों की सिफारिष भारत सरकार को भेजी गई। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पुरस्कारों के लिए चयन एक प्रतियोगी परीक्षा एवं उनकी उपलब्धियों एवं योगदान के आधार पर किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 1.19 लाख रू0 की राषि राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए स्वीकृत की गई जिसमें से 1.00 लाख रू0 पुरस्कारों के रूप में तथा 19,000/– रू0 पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजनों पर व्यय किये गये ।

वर्श 2003–04 के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना पर राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर में किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः–

;लाख रू0 मेंद्ध

योजना	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नांन प्लान	कुल

आई.सी.डी.एस.	13.38	5372.12	13.77	5399.27
पूरक पोशाहार	175.72	–	3998.53	4174.25
कुल	189.10	5372.12	4012.30	9573.52

ध़) बीमा योजना– आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना

भारत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं हैल्परों को बीमा के अन्तर्गत लाने के लिए 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना' जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह योजना के अन्तर्गत षुरू की है। यह योजना 1.4.2004 से प्रभावी है तथा लक्षित समूह के लिए वैकल्पिक है।

बीमा योजना के अर्न्तगत 280/–रू0 के कुल वार्शिक प्रीमियम निम्न अनुपात में आबंटित होगाः–

1– 100/–रू0 जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा फण्ड से।

2– 100/–रू0 भारत सरकार द्वारा एवं

3– 80/–रू0 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/हैल्पर द्वारा (इन्ष्योर्ड़ मैम्बर)

'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना' की विषेशताएं निम्न प्रकार हैंः–

1– यह योजना 18–60 वर्श आयु समूह के व्यक्तियों के लिए है।

2– दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य कारण से मृत्यु 20,000/–रू0

3– दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 50,000/–रू0

4– दुर्घटना के कारण स्थाई पूर्ण विकलांगता 50,000/–रू0

5– दुर्घटना में दो आंखें या दो अंग अथवा एक आंख व एक अंग की क्षति पर 50,000/–रू0

6– दुर्घटना में एक आंख या एक अंग की क्षति पर 25,000/–रू0

7– नौवीं से बाहरवीं कक्षा में पढ़ने वाले (2 बच्चों तक सीमित) प्रति तिमाही प्रति बच्चा 300/–रू0 की छात्रवृति । यदि छात्र कक्षा में अनुतीर्ण होता है, तो वह उसी स्टैण्डर्ड में आगामी वर्श में छात्रवृति का पात्र नहीं होगा।

8– गम्भीर बीमारी होने पर एड–ऑन बैनीफिट(।कक.वद ठमदमपिज)–निम्नलिखित गम्भीर बीमारियों में से कोई एक के होने पर 20000/–रू0।

- ब्रैस्ट कैंसर (ठतमेंज ब्ंदबमत)
- ओविरियन कैंसर/फलोपियन ट्यूब कैंसर (व्अंतपंद ब्ंदबमतध्थ्मसवचपंद ज्नइम ब्ंदबमत)
- सरविकल कैंसर (ब्मतअपबंस ब्ंदबमत)
- यूटरिन कैंसर (न्जमतपदम ब्ंदबमत)
- वाजिनल/वियोलवल कैंसर (टंहपदंसध्टनसअंस ब्ंदबमत)

भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त निर्देष इस योजना को लागू करने के लिए सभी कार्यक्रम अधिकारियों को भिजवा दिए गए हैं।

ड़. पंजीरी प्लांट

राज्य में 2 पंजीरी प्लांट गुड़गांव तथा घरौण्डा में चलाये जा रहे हैं जिनमें समेकित बाल विकास सेवायें योजना के लाभपात्रों के लिए पोश्टिक पंजीरी तैयार की जाती है। इन पंजीरी प्लांटों में वर्श 2003–04 में कुल 18682.88 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया।

पंजीरी प्लांट गुड़गांव में 8904.18 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन तथा घरौण्डा में 9778.70 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया। वर्श 2003–04 में पंजीरी प्लांट,गुड़गांव 274 दिन चला तथा घरौण्डा प्लांट 289 दिन चला। पंजीरी प्लांटों का व्यय पूरक पोशाहार पर हुए व्यय में षामिल है।

राज्य सरकार द्वारा दो नए पंजीरी प्लाँट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें से एक पंजीरी प्लांट स्थापित करने के लिए वर्श 2003–04 में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा फूड पार्क साहा (अम्बाला) में भूमि अलाट कर दी गई है जिसके लिए 42.52 लाख रू0 की अदायगी हरियाणा औद्योगिक विकास निगम को की गई है। दूसरा पंजीरी प्लांट फूड पार्क नरवाना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

च. प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना–पोशाहार कम्पोनैंट

भारत सरकार द्वारा प्रयोजित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्‌देष्य 3 वर्श से कम आयु के बच्चों में कुपोशण को समाप्त करना है।

वर्श 2003–04 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पोशाहार कम्पोनैंट के अन्तर्गत सहायता के रूप में 281.85 लाख रू0 अलाट किये गए थे और 278.96 लाख रू0 व्यय हुआ था जो कि भार व आयु के अनुसार ग्रेड प्प्ए प्प्प व ग्रेड प्ट के 3 वर्श से कम आयु के 120046 कुपोशित बच्चों को पूरक पोशाहार देने पर व्यय किए गए।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत जिलावार लाभपात्रों की संख्या

क्र.स.	जिला	लाभपात्र(लड़के)	लाभपात्र(लड़कियां)	कुल लाभपात्र
		ग्रेड–ाा ग्रेड–ााा ग्रेड–प्ट	ग्रेड–ाा ग्रेड–ााा ग्रेड–प्ट	ग्रेड–ाा ग्रेड–ााा ग्रेड– प्ट
1	अम्बाला	1829 2 0	1698 3 0	3527 5 0
2	भिवानी	3170 47 1	3119 96 6	6289 143 7
3	फरीदाबाद	7929 369 24	7368 434 51	15297 803 75
4	गुड़गांव	6249 479 29	4607 499 31	10856 978 60
5	हिसार	8011 250 14	7329 436 33	15340 686 47
6	जीन्द	4450 99 2	3669 131 4	8119 230 6
7	कुरूक्षेत्र	718 19 1	711 14 1	1429 33 2
8	करनाल	3340 69 4	2767 76 7	6107 145 11
9	नारनौल	3923 25 0	3282 24 0	7205 49 0
10	पानीपत	2094 3 0	1924 4 0	4018 7 0
11	पंचकुला	624 0 0	488 0 0	1112 0 0
12	रोहतक	1706 24	1509 31	3215 55

		0	1	1
13	रिवाड़ी	2078 46 0	1757 36 0	3835 82 0
14	सोनीपत	2042 16 0	1526 9 0	3568 25 0
15	सिरसा	3400 99 3	3139 144 2	6539 243 5
16	यमुनानगर	1199 8 0	1018 14 0	2217 22 0
17	फतेहाबाद	2221 71 0	2140 64 0	4361 135 0
18	झज्जर	2181 5 0	1799 10 0	3980 15 0
19	कैथल	4833 39 0	4244 46 0	9077 85 0
	कुल	**61997 1670 78**	**54094 2071 136**	**116091 3741 214**

यह लाभपात्र 896907 बच्चों की संख्या में षामिल हैं, जिन्हें पूरक पोशाहार दिया गया है।

छ. उदीषा

महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार ने आई.सी.डी.एस. ट्रेनिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्श 1999–2000 से 5 वर्शो के लिए एक ट्रेनिंग प्रोजैक्ट 'उदीषा' स्वीकृत किया। हरियाणा राज्य के लिए इस प्रोजैक्ट की संषोधित एलोकेषन 526.98 लाख रू0 है। इस प्रषिक्षण प्रोजैक्ट के अन्तर्गत अब राज्य में चलाए जा रहे 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रषिक्षण केन्द्रों एवं सुपरवाईजरों के लिए एक मध्य स्तरीय प्रषिक्षण केन्द्र जोकि 'वामा' राई द्वारा चलाया जा रहा है, को वित्तीय सहायता राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती है।

उदीषा का मूल उद्देष्य आई.सी.डी.एस. के सभी कार्यकर्ताओं को सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में विकसित करना है तथा आई0सी0डी0एस0 सेवाओं को प्रभावषाली बनाने के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, हैल्परों, सुपरवाईजरों तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियो की क्षमताओं एवं कुषलताओं को बढ़ाने हेतू उनके प्रषिक्षण में सुधार हेतू वित्तीय नार्मज को संषोधित करना, प्रषिक्षण को एकीकृत एवं समन्वय में लाना, प्रषिक्षण सलैबस को दोहराना, ण्डज को जारी करने की विधि में परिवर्तन लाना तथा प्रषिक्षण सुविधाओं को अपग्रेड करना है। 'उदीषा' एक विष्व बैंक की सहायता प्राप्त राश्ट्रव्यापी प्रषिक्षण योजना है।

भारत सरकार द्वारा वर्श 2003– 2004 में इस परियोजना के अन्तर्गत 83.84 लाख रू0 की राषि जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा वर्श 2003–04 में कुल 65.98 लाख रू0 की राषि ट्रेनिग सैंटरों को प्रदान की गई। षेश राषि 17.86 लाख रू0 आई0ई0सी0 एवं अन्य प्रषिक्षणों के लिए है।

वर्श 2003–2004 में संस्थाओं को प्रदान की गई राषि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

कमांक	संस्था का नाम	राषि ;लाख रूपए में द्ध
1.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिशद, चण्डीगढ़	48.00
2.	कस्तूरबा गांधी नैषनल मैमोरियल ट्रस्ट, रादौर	12.00
3.	मिडल लेवल ट्रेनिंग सैन्टर, राई, (सोनीपत)	5.98
4.	आई0ई0सी0 के लिए राषि	9.03
5.	अन्य प्रषिक्षणों के लिए राषि	8.83
	कुल	**83.84**

वर्श 2003–04 में 106 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रषिक्षण, 2818 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुनष्चर्या प्रषिक्षण, 655 हैल्परज को ओरियन्टेषन कोर्स (कार्य प्रषिक्षण) व 1361 हैल्परों को रिफ्रैषर प्रषिक्षण दिलवाया गया। इसके अतिरिक्त 81 सुपरवाइजरों को कार्य प्रषिक्षण एवं 170 सुपरवाइजरों को रिफरैषर प्रषिक्षण दिलवाया गया तथा 49 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को रिफ्रैषर प्रषिक्षण दिया गया।

ज– बच्चों का समुचित विकास एवं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आई.सी.डी.एस. सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्न नवीन पद्धतियां एवं गतिविधियां अपनाई गई :–

1— बच्चों में कुपोशण को समाप्त करने के लिए एक पोशण पद्धति (छनजतपजपवद ेजतंजमहल) अपनाई गई है जोकि वर्श भर जारी रही। इसके अन्तर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दो मास के लिए 4 परिवारों को बच्चों की देखभाल, पोशाहार एवं स्वास्थ्य आदि के बारे में विस्तृत जानकारी एवं ज्ञान देने के लिए अपनाती है। अत्याधिक कुपोशित बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाता है। इस प्रकार वर्श 2003—04 के अन्त तक 330907 बच्चों को कवर किया गया।

2— आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोशाहार का वितरण वर्श भर में कम से कम 300 दिन तक सुनिष्चित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्श भर में रविवारों एवं 14 सार्वजनिक अवकाष के इलावा सभी दिनों में आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

3— ग्राम पंचायतों / ग्राम सभाओं / नगरपरिशदों के सदस्यों को आई.सी.डी.एस. के लाभों के प्रति जागृत कर उनसे आंगनवाड़ी सेवाओं में उनकी भागीदारी एवं योगदान सुनिष्चित करने के लिए संकल्प के रूप में प्रस्ताव पास करवाए जाने की पद्धति अपनाई गई थी तथा मास मार्च, 2004 तक कुल 6012 प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।

4— आई0सी0डी0एस0 योजना के पोशण एवं स्वास्थ्य षिक्षा कम्पोनैंट को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नवीन पद्धति अपनाई गई है जिसके अन्तर्गत कुपोशण की समस्या से निपटने के लिए विशय आधारित मासिक गतिविधियों का एक वार्शिक कलैण्डर बनाया गया है जिसके अनुसार विभिन्न मीटिगों, स्वयं सहायता समूहों, किषोरी षक्ति योजना की किषोरी बालिकाओं के मण्डलों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों / सुपरवाईजरों द्वारा भाशण व विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

2. आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण

बच्चों को स्वच्छ एवं साफ—सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू वर्श 2002—03 से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ करके नया कदम उठाया गया है। वर्श 2003—04 के दौरान भारत सरकार द्वारा 408 माडल आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 343.67 लाख रू0 जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए 295.92 लाख रू0 की राषि प्रदान की है अर्थात कुल 639.59 लाख रू0 की राषि इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार आँगनवाड़ी भवन उन गाँवों में बनाए जाएंगे जहां पर पंचायत कम से कम 200 वर्ग गज भूमि निःषुल्क उपलब्ध कराएगी तथा समुदाय 25000 / —रूपए का योगदान देगा।

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन की कुल अनुमानित निर्माण लागत, समुदाय द्वारा प्रदान 25000/–रुपए के नकद योगदान सहित 2.33 लाख रू0 निर्धारित की गई है। आंगनवाड़ी बिल्डिंग निर्माण की भारत सरकार की सहायता का जहां तक संबंध है, यह प्रति इकाई लागत 1.25 लाख रू0 है। इसमें से 75 प्रतिषत लागत (93750/–रू0) भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी तथा 25 प्रतिषत लागत (31250/–रू0) राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण पर 1.25 लाख रू0 प्रति इकाई से अधिक निर्माण लागत के लिए फण्ड प्रदान करने के लिए राज्य पर भारत सरकार द्वारा कोई पाबन्दी नहीं है, परन्तु भारत सरकार का योगदान केवल 93750/–रू0 तक सीमित है। भारत सरकार द्वारा जारी राषि को राज्य की आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना के साथ जोड़कर भवनों का निर्माण किया जाएगा।

वर्श 2003–04 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 639.59 लाख रू0 की राषि राज्य में अतिरिक्त उपायुक्तों को निम्न प्रकार से वितरित की गई :–

(लाख रुपये में)

क्र.स.	जिला	आंगनवाड़ी केन्द्र	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल
1	अम्बाला	39	31.69	28.56	60.25
2	भिवानी	20	17.44	14.85	32.29
3	फरीदाबाद	19	16.12	11.43	27.55
4	गुड़गांव	19	16.69	14.85	31.54
5	हिसार	21	18.37	16.00	34.37
6	जीन्द	31	25.31	18.28	43.59
7	कुरूक्षेत्र	44	34.69	33.13	67.82
8	करनाल	33	26.81	12.57	39.38
9	नारनौल	8	7.50	9.14	16.64
10	पानीपत	17	15.00	13.71	28.71
11	पंचकुला	31	24.19	11.42	35.61
12	रोहतक	14	12.19	10.28	22.47
13	रिवाड़ी	10	9.37	11.43	20.80
14	सोनीपत	17	15.19	14.85	30.04
15	सिरसा	11	9.56	8.00	17.56
16	यमुनानगर	11	9.56	8.00	17.56
17	फतेहाबाद	26	23.06	21.71	44.77
18	झज्जर	7	6.56	8.00	14.56
19	कैथल	30	24.37	29.71	54.08
	कुल	408	343.67	295.92	639.59

3. किषोरी षक्ति योजना

11–18 वर्श की किषोर बालिकाओं के पोशाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुषलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोशाहार, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल तथा 18 वर्श की आयु होने पर या इससे अधिक आयु में विवाह

करवाने बारे जागृति उत्पन्न करने के उद्देष्य से वर्श 1993–94 से हिस्से के आधार पर किषोरी बालिका योजना लागू की जा रही है। सर्वप्रथम यह योजना सिरसा जिले के 4 आई0 सी0 डी0 एस0 प्रोजेक्टों माधोसिंघाना, डबवाली, ऐलनाबाद एवं रानियां में चलाई जा रही थी। अब इस योजना का आगे विस्तार करके राज्य के 5 षहरी आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों सहित 85 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में चलाई जा रही है। स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं 10 प्रतिषत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 मास के लिए 20 किषोरी बालिकाओं का बालिका मण्डल बनाकर प्रदान की जाती हैं। अतः एक आंगनवाड़ी केन्द्र में से वर्श भर में 40 किषोर बालिकाओं को दो बैचों में कवर किया जाता है। लड़कियों को 2.50 रू0 प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोशाहार भी दिया जाता है, जिस पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य भर में 85 परियोजनाओं में 961 बालिका मण्डल कार्यरत हैं तथा इनमें किषोरी षक्ति योजना भाग–2 लागू किया जा रहा है। योजना को जिन खण्डों में लागू किया जा रहा है उनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार हैः–

क.सं.	जिला	खण्ड / आई0सी0डी0एस0 प्रोजैक्ट का नाम
1.	अम्बाला	अम्बाला (षहरी), अम्बाला (ग्रामीण), बराड़ा एवं नारायणगढ़।
2.	भिवानी	बाढ़ड़ा, भिवानी, लोहारू, दादरी–I, बवानीखेडा, तोषाम, दादरी–II. सिवानी एवं कैंरू।
3.	जीन्द	जुलाना, नरवाना, सफीदों, जीन्द(ग्रामीण), उचाना, अलेवा एवं पिल्लूखेड़ा।
4.	करनाल	घरौण्डा, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध एवं नीसिंग।
5.	झज्जर	डीघल, झज्जर, बहादुरगढ़, साहलावास एवं मातनहेल।
6.	कैथल	पूण्डरी एवं गुहला।
7.	पानीपत	पानीपत(ग्रामीण), पानीपत(षहरी), समालखा, मतलोडा, इसराना एवं बापौली।
8.	रोहतक	रोहतक(षहरी), चिड़ी, कलानौर,. महम. रोहतक(ग्रामीण) एवं सांपला।

9.	रिवाड़ी	नाहड़, रिवाडी(ग्रा0), बावल, जाटूसाना, खोल एवं रिवाड़ी(ष0)।
10	सोनीपत	कथूरा, गन्नौर., राई, सोनीपत, मुडलाना, गोहाना एवं खरखौदा।
11	यमुनानगर	छछरौली, रादौर., बिलासपुर, जगाधरी एवं सढौरा।
12	फतेहाबाद	फतेहाबाद, भूना, भट्टूकलां, टोहाना, एवं रतिया ।
13.	फरीदाबाद	फरीदाबाद (ष0), हथीन, बल्लभगढ़, फरीदाबाद(ग्रा0), होडल, पलवल
14.	गुड़गांव	फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, सोहना, गुड़गांव, तावडू, नूंह, नगीना, पटौदी व फरूखनगर।
15.	सिरसा	बड़ागुढा, औढ़ां, नाथुसरी चौपटा

इस योजना के अन्तर्गत वर्श 2003–04 में 319.07 लाख रू0 व्यय किए गए जिसमें से 290.12 लाख रू0 पूरक पोशाहार पर राज्य सरकार के हिस्से के रूप में व्यय किए गए । योजना के अन्तर्गत 32433 बालिकाओं को पूरक पोशाहार और 38240 बालिकाओं को गृह आधारित कुषलताओं पर प्रषिक्षण देने के साथ–2 स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोशाहार एवं बाल देखभाल आदि के ज्ञान से सुसज्जित किया गया।

योजना के अन्तर्गत जिलावार प्रगति का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. स.	जिला	बालिका मण्डलों की संख्या		लाभपात्र बालिकाओं की संख्या					
		प्रथम छःमाही	द्वितीय छःमाही	पूरक पोशाहार			प्रषिक्षण		
				प्रथम छःमाही	दितिय छःमाही	कुल	प्रथम छःमाही	दितिय छःमाही	कुल
1	अम्बाला	57	57	1140	855	1995	1140	1140	2280
2.	भिवानी	109	109	1753	1635	3388	2163	2163	4326
3.	फरीदाबाद	87	87	1305	1305	2610	1740	1305	3045
4.	फतेहाबाद	13	13	650	650	1300	650	650	1300
5.	गुड़गांव	97	97	1855	1440	3295	1920	1920	3840
6.	झज्जर	65	65	975	975	1950	1260	1265	2525
7.	जीन्द	80	80	1183	1229	2412	1405	1460	2865
8.	कैथल	32	32	535	566	1101	640	640	1280
9.	करनाल	67	67	927	1012	1939	1275	1265	2540
10.	पानीपत	55	55	825	804	1629	1100	1100	2200
11.	रिवाड़ी	62	62	998	941	1939	1041	1041	2082
12.	रोहतक	65	65	975	975	1950	995	1197	2192
13.	सिरसा	29	29	1304	1046	2350	1075	970	2045
14.	सोनीपत	86	86	1290	1290	2580	1720	1720	3440
15.	यमुनानगर	57	57	855	1140	1995	1140	1140	2280
	कुल	**961**	**961**	**16570**	**15863**	**32433**	**19264**	**18976**	**38240**

4. विषेश अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत 40 किलोग्राम से कम षारीरिक वजन वाली गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं एवं 35 किलोग्राम से कम वजन वाली किषोर बालिकाओं को जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से 6 किलोग्राम अनाज लगातार 3 महीनों तक बिल्कुल मुफ्त दिया जायेगा । जिनके पोशाहार स्तर में सुधार प्रर्दषित होता है तथा इस प्रकार वजन अनुसार 'कट आफ बिन्दु' पार करती है या पात्रता समूह को लांघती है, (दूध पिलाने वाली माताएं नहीं रही या 19 वर्श आयु पार करने वाली बालिकाएं) , को इसके बाद अनाज नहीं दिया जायेगा। लगातार तीन महीनों तक अनाज ग्रहण करने के बावजूद भी जो

महिलाएं एवं बालिकाएं स्वास्थ्य स्तर में सुधार नहीं दर्षाती है, उन्हें अगले तीन महीने तक अनाज दिया जाता रहेगा ।

यह योजना एक पायलेट परियोजना के रूप में अम्बाला व यमुनानगर जिलों में लागू की जा रही है तथा सर्वेक्षण द्वारा 36438 महिलाओं एवं बालिकाओं की पहचान की गई हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जायेगा ।

दोनों जिलों में चिन्हित किए गए लाभपात्रों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

जिले का नाम	गर्भवती महिलाएं	दूध पिलाने वाली माताएं	किषोर बालिकाएं	कुल
अम्बाला	314	450	17875	18639
यमुनानगर	610	800	16389	17799
कुल	**924**	**1250**	**34264**	**36438**

वर्श 2003–04 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राषि में से 98.44 लाख रू0 की प्रथम किष्त जारी की गई जिसमें से 52.32 लाख रू0 व्यय किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 900 मीट्रिक टन गेंहूॅ की एलोकेषन हरियाणा राज्य को की गई।

इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधित जिलों में एक–2 वर्कषाप तथा सभी आंगनवाड़ी वर्करज को खाद्य एवं पोशाहार बोर्ड से प्रषिक्षण दिलवाने का प्रस्ताव है।

5. अपनी बेटी अपना धन

परिवार एवं समाज में बालिकाओं के स्तर का उत्थान करने के उद्देष्य से राज्य में 'अपनी बेटी अपना धन' योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के ;श्रेणी–1 व 2 के अधिकारी एवं आयकर देने वाले परिवारों को छोड़करद्ध एवं अन्य जातियों के, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जिनके नवजात षिषु सहित 3 बच्चे है, लाभ उठाने योग्य हैं।

वर्श 2003–04 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर 267.82 लाख रू0 व्यय किये गये तथा 52501 माताओं को 500/–रू0 की दर से सहायता प्रदान की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत जिलावार लाभपात्रों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	जिले का नाम	लाभपात्र			
		अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अन्य	कुल
1	अम्बाला	1292	1228	24	2544
2	भिवानी	1660	1602	374	3636
3	फरीदाबाद	1480	1513	105	3098
4	गुड़गांव	1190	2233	156	3579
5	हिसार	2044	1791	214	4049
6	जीन्द	1251	1091	193	2535
7	कुरूक्षेत्र	1113	2056	71	3240
8	करनाल	1586	1845	185	3616
9	महेन्द्रगढ़	1029	1423	45	2497
10	पानीपत	615	841	75	1531
11	पंचकुला	579	726	36	1341
12	रोहतक	1100	798	154	2052
13	रिवाड़ी	786	1637	53	2476
14	सोनीपत	1352	1487	80	2919
15	सिरसा	1901	1331	40	3272
16	यमुनानगर	1656	1833	28	3517
17	फतेहाबाद	1458	1060	61	2579
18	झज्जर	888	880	132	1900
19	कैथल	1034	962	124	2120
	कुल	**24014**	**26337**	**2150**	**52501**

वर्श 2003–04 में क्षेत्रवार लाभपात्रों की सख्ंयाः–

क्रम संख्या	जिले का नाम	लाभपात्र		
		ग्रामीण	षहरी	कुल
1	अम्बाला	2370	174	2544
2	भिवानी	2997	639	3636
3	फरीदाबाद	2598	500	3098
4	गुड़गांव	3320	259	3579
5	हिसार	3389	660	4049
6	जीन्द	2215	320	2535
7	कुरूक्षेत्र	2976	264	3240

क्रम संख्या	जिले का नाम	लाभपात्र		
		ग्रामीण	षहरी	कुल
8	करनाल	3271	345	3616
9	महेन्द्रगढ़	2254	243	2497
10	पानीपत	1423	108	1531
11	पंचकुला	1299	42	1341
12	रोहतक	1568	484	2052
13	रिवाड़ी	2322	154	2476
14	सोनीपत	2640	279	2919
15	सिरसा	2937	335	3272
16	यमुनानगर	3183	334	3517
17	फतेहाबाद	2375	204	2579
18	झज्जर	1680	220	1900
19	कैथल	1955	165	2120
	कुल	**46772**	**5729**	**52501**

6. जवाहर बाल भवन

6–16 वर्श आयु के बच्चों को मनोरंजनात्मक एवं षिक्षात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिशद द्वारा भिवानी में जवाहर बाल भवन चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा वर्श 2003–04 में इस भवन के लिए 10,000/–रू0 का अनुदान स्वीकृत किया गया।

7. बालिका समृद्धि योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंध रखने वाली 7441 बालिकाओं को जन्म उपरांत ग्रांट 500/–रू0 की दर से प्रदान की गई । यह राषि बालिकाओं के नाम तथा नामांकित अधिकारी के नाम अधिकतम ब्याज देने वाले संयुक्त खाते जैसा कि पब्लिक प्रोविडैंट फण्ड या राश्ट्रीय बचत पत्र में जमा करवाई गई। संचित राषि बालिकाओं को 18 वर्श की आयु होने पर तथा तब तक अविवाहित रहने पर दी जाएगी।

जिलावार लड़कियों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई है, का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. संख्या	जिले का नाम	लाभपात्रों की संख्या			
		अनुसूचितजाति	पिछड़ी जाति	अन्य	कुल
1	अम्बाला	214	86	6	306
2	भिवानी	227	199	294	720
3	फरीदाबाद	144	121	57	322
4	गुड़गांव	152	239	60	451
5	हिसार	258	110	58	426
6	जीन्द	239	157	161	557
7	कुरूक्षेत्र	193	235	29	457
8	करनाल	169	123	46	338
9	महेन्द्रगढ़	180	89	34	303
10	पानीपत	107	89	56	252
11	पचंकूला	93	121	54	268
12	रोहतक	222	121	89	432
13	रिवाड़ी	179	105	27	311
14	सोनीपत	150	123	69	342
15	सिरसा	267	98	7	372
16	यमुनानगर	267	188	27	482
17	फतेहाबाद	195	90	30	315
18	झज्जर	135	91	115	341
19	कैथल	227	146	73	446
कुल		**3618**	**2531**	**1292**	**7441**

इस योजना के अर्न्तगत गत वर्श की बकाया राषि 23.65 लाख रु0 सहित, इस वर्श में कुल 48.65 लाख रु0 की राषि उपलब्ध थी, जिसमें सें इस वर्श में 7441 लाभपात्रों को 37.21 लाख रू0 की राषि की सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को सफलता पूर्वक प्रत्येक कक्षा

पूरी करने पर कक्षा 1 से कक्षा 10 तक 300/–रू0 से 1000/–रू0 के बीच वार्शिक छात्रवृति देने का भी प्रावधान है। यह योजना 2 अक्तूबर,1997 से प्रारम्भ की गई थी तथा वर्श 1999 में यह योजना परिषोधित की गई ।

8. स्वंयसिद्धा

महिला सषक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा एक समेकित स्कीम 'स्वयंसिद्धा' राज्य के 13 खण्डों के लिए वर्श 2000–01 में स्वीकृत की गई जिनके नाम रिवाड़ी(ग्रामीण), बावल, खोल, जाटूसाना, रिवाड़ी (षहरी), हांसी–I, आदमपुर, अटेली, सढौरा, अम्बाला, पिंजौर, बराड़ा और बरवाला हैं। इस योजना का उद्वेष्य जागरूकता, आर्थिक सषक्तिकरण और विभिन्न स्कीमों के सकेन्द्रण के माध्यम से महिलाओं का सर्वांगींण सषक्तिकरण करना है जोकि स्वंय सहायता समूह के गठन पर आधारित है।

इन 13 खण्डों के लिए 220.60 लाख रू0 की राज्य कार्य योजना भारत सरकार को तैयार करके भेजी गई जिसका भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया जोकि वर्श 2006–07 में समाप्त हो जाएगी। इस राषि में से 184.60 लाख रू0 खण्ड विषिश्ट प्रोजैक्टस के लिए हैं तथा 36.00 लाख रू0 राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय व्यय के लिए हैं। इस कार्यक्रम की मोनिटरिंग एवं अन्तर– क्षेत्रीय कार्यक्रमों के सकेन्द्रीकरण के लिए राज्य स्तर पर स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग एवं रिव्यू कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

वर्श 2003–04 तक भारत सरकार ने इस परियोजना के अन्तर्गत 117.38 लाख रू0 की राषि जारी की है जिसमें से 86.85 लाख रू0 योजना को राज्य स्तर/जिला स्तर/खण्ड स्तर पर लागू करने के लिए व्यय किए गए। वर्श 2003–04 तक परियोजना के अन्तर्गत 1054 स्वंय सहायता समूह बनाए गए। 815 स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक खाते खुलवाकर 68.00 लाख रू0 की बचतें की हैं तथा 848 समूहों ने 34.10 लाख रू0 का आपसी ऋणों का लेनदेन किया तथा 4 समूहों द्वारा बैंक ऋण भी लिए गए।

महिला समूहों को सषक्त बनाने एवं उनकी सक्षमता निर्माण के लिए महिलाओं के 17 बैचों को आत्मरक्षा, विष्वास निर्माण, कानूनी साक्षरता, लेखा रख–रखाव एवं जैण्डर सवेंदनषीलता पर प्रषिक्षण स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से दिलवाए गए।

9. महिलाओं के लिए प्रषिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित करना ;छात्रवृति योजनाद्ध

इस योजना के अधीन स्वैच्छिक संस्थाओं/अर्ध सरकारी/कल्याण संस्थाओं/प्रषिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाएं जो हरियाणा में कार्यरत रही हैं तथा महिलाओं, बच्चों व किषोरों को कल्याण सेवाएं प्रदान करती हैं, अथवा अनुसंधान, मूल्यांकन करती हैं, क्षमता निर्माण के लिए महिलाओं एवं किषोरियों को प्रषिक्षण देती है और आय उपार्जन गतिविधियां चलाती हैं, स्वंय सहायता समूह निर्माण एवं उनके पोशण,

सामाजिक बुराईयों के विरुद्व सामाजिक लामबन्दी और आन्दोलन करती हैं आदि के लिए, सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार ने वर्श के दौरान इस योजना का दायरा बढ़ाया है ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा सके। राज्य सरकार ने वर्श 2003–04 में सहायक अनुदान की इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को पिछले वर्शों में प्रदान की जा रही वार्शिक राषि 13.00 लाख रू0 से बढा कर वर्श 2003–04 में 50.00 लाख रू0 की गई है।

वर्श 2003–04 में स्वैच्छिक संस्थाओं को जारी की गई सहायक अनुदान राषि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राषि लाख रू0 में)

क्र.स.	संस्था का नाम	स्वीकृत की गई राषि	उद्देष्य
1.	महिला मण्डल, गांव सिंघलहेड़ी, गुड़गांव ।	2.00 1.00	जैम, कटिंग का प्रषिक्षण, कटिंग टेलरिंग प्रषिक्षण
2.	ग्रामीण विकास षिक्षा समिति, गुड़गांव ।	2.00	जैम कटिंग प्रषिक्षण
3.	सेवाहार (सोसायटी फार ऐजूकेषन वैल्फैयर एण्ड हैल्थ एक्टिविटी) गांव लाहा, नारायणगढ ।	1.00	रेडिमेड गारमैंटन्स बनाने का प्रषिक्षण
4.	अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम,भिवानी ।	1.00	रेडिमेड गारमैंटन्स बनाने का प्रषिक्षण
5.	टाक कम्पयूटर एजूकेषन सोसायटी, सांपला, रोहतक ।	0.90	कटिंग–टेलरिंग प्रषिक्षण
6.	समाज कल्याण षिक्षा समिति, अलेवा, जीन्द ।	1.00	कम्पयूटर ट्रेनिंग
7.	सोसायटी फार अवेयरनैस वैल्फेयर, ऐजूकेषन एण्ड रूरल एडवांसमैंट	1.00	कम्पयूटर ट्रेनिंग
8.	दिषा संस्था, सिरसा	2.50	कम्पयूटर सैन्टर
9.	आदर्ष रूरल डवलपमैंट सोसायटी, कदारपुर, गुडगांव ।	1.00 1.00	क्राफट सोषल क्रियेषन सैन्टर, कन्या भ्रूण हत्या एव ंदहेज के विरूद्ध प्रचार
10.	महावीर जन कल्याण ट्रस्ट, मोती बाग, कोठी गेट, कैथल ।	1.00	कटिंग – टेलरिंग प्रषिक्षण
11.	भारतीय ग्राम सुधार सभा, रामगोपाल कालौनी,रोहतक ।	1.30	ब्यूटिषियन कोर्स
12.	ग्राम स्वराज्य संस्थान, हिसार	1.00	सीट कवर प्रषिक्षण
13.	कन्जूमर एवेयरनैस और प्रोटैकषन	2.50	कम्पयूटर सैन्टर,

	सोसायटी इण्डिया, पंचकुला ।	3.50	सैल्फ हैल्फ ग्रुप बनाना तथा उनकी देखभाल करना।
14.	सैन्टर फार ऐजूकेषन सोसायटी, रोहतक ।	1.00	ब्यूटिषियन कोर्स
15.	खादी ग्राम उद्योग समिति	1.00	कटिंग – टेलरिंग प्रषिक्षण
	नारायणगढ ।	1.00	ब्यूटिषियन कोर्स प्रषिक्षण
16.	अमर ज्योति फाउन्डेषन, लीजवाना	1.00	हेयर,स्कीन केयर प्रषिक्षण
	चौंक, जुलाना,जीन्द ।	1.00	दरी निर्माण प्रषिक्षण,
		1.50	कम्पयूटर ट्रेनिंग,
		1.00	कटिंग – टेलरिंग प्रषिक्षण ।
17.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ,	5.00	क्राफ्ट सैन्टर पंचकुला ।
18.	पिया षर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट,पंचकुला।	2.00	क्राफ्ट सैन्टर
19.	आल इण्डिया कामन व्हील	2.00	फूड प्रोसेसिंग प्रषिक्षण,
	ओर्गेनाइजेषन,रोहतक ।	1.50	ड्रेस डिजाईनिंग प्रषिक्षण
20.	आल इण्डिया महिला सेवा समिति,	0.75	फैषन डिजाईनिंग प्रषिक्षण,
	लाखन माजरा, रोहतक ।	1.00	ब्यूटिषियन कोर्स,
		0.75	कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध प्रचार
		0.80	–उक्त–
21.	साईको सोसल हैल्थ वैल्फेयर,	1.50	कम्पयूटर कोर्स,
	सोसायटी,हिसार ।	1.00	फैषन डिजाईनिंग प्रषिक्षण,
		1.25	ब्यूटिषियन कोर्स,
		1.25	मार्डन टैक्नीक आफ
		————	एग्रीकलचर पर प्रषिक्षण ।
	कुल	**50.00**	
		———	

10– **स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता** ;सहायक अनुदान– नान प्लानद्ध

इस विभाग द्वारा स्वैच्छिक कल्याणकारी संस्थाओं, जो बाल विकास तथा महिला विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, को वित्तीय सहायता सहायक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। वर्श

2003–04 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 7.00 लाख रू0 की राषि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई थी ।

जिन संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया गया है, उनके नाम व राषि निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	संस्था का नाम	स्वीकृत की गई राषि	उद्देष्य
1.	मार्डन ऐजूकेषन सोसायटी, मण्डौरा, सोनीपत ।	2.00 1.00	कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध प्रचार कटिंग – टेलरिंग प्रषिक्षण ।
2.	अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम,भिवानी ।	0.50	बाल पुस्तकालय
3.	भारतीय ग्रामीण सुधार सभा, रोहतक ।	0.45	बाल पुस्तकालय
4.	सैन्टर फार ऐजूकेषन सोसायटी, रोहतक ।	0.45	बाल पुस्तकालय
5.	खादी ग्राम उद्योग समिति, नारायणगढ़ ।	0.40	बाल पुस्तकालय
6.	मार्डन ऐजूकेषन सोसायटी, मण्डौरा, सोनीपत ।	0.50	बाल पुस्तकालय
7.	आल इण्डिया कामन व्हील ओर्गेनाइजेषन,रोहतक ।	0.50	बाल पुस्तकालय
8.	आल इण्डिया महिला सेवा समिति, लाखनमाजरा,रोहतक ।	0.40	बाल पुस्तकालय
9.	हरियाणा साईको सोसल हैल्थ वैल्फैयर सोसायटी, हिसार ।	0.40	बाल पुस्तकालय
10.	पुरूशोतम चैरिटेबल ट्रस्ट,करनाल।	0.35	बाल पुस्तकालय
11.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिशद, चण्डीगढ ।	0.05	वीरता पुरस्कार
	कुल	7.00	

11– दहेज निशेध कार्यक्रम

दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए राज्य में दहेज प्रतिशेध अधिनियम लागू किया जा रहा है। अधिनियम को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दहेज प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में संषोधन किया गया है जिन्हें फरवरी, 2003 में अधिसूचित किया गया जिनमें दहेज

प्रतिशेध अधिकारियों को अधिक षक्तियां एवं कार्य सौंपे गए हैं। दहेज निशेध अधिनियम को कारगर रूप से लागू करने के लिए वर्श 2003–04 में कई कदम उठाए गए जिनमें निदेषक, महिला एवं बाल विकास विभाग को मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी नामांकित करना, राज्य में सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेटों एवं सभी नगराधीषों को दहेज प्रतिशेध अधिकारी नियुक्त करना एवं राज्य में प्रत्येक वर्श 26 नवम्बर को दहेज प्रतिशेध दिवस मनाना भी षामिल हैं। दहेज प्रतिशेध अधिनियम में संषोधन के लिए सुझाव देने के लिए तीन सदस्यों की मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

वर्श 2003–04 में 19.80 लाख रू0 की राषि राज्य में सभी नगराधीषों एवं उपमण्डल मजिस्ट्रेटों को प्रदान की गई है जिसके द्वारा दहेज प्रतिशेध अधिकारियों द्वारा लोगों में दहेज के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए समारोह आयोजित किए जायेंगे। नगराधीषों एवं उप–मण्डल न्यायधीषों को जारी की गई राषि का विवरण निम्न प्रकार है :–

नगराधीषों एवं उपमण्डल न्यायधीषों को जारी की गई राषि का विवरण

(राषि रू0 में)

क0सं0	जिला	नगराधीषों को प्रदान की गई राषि	उपमण्डल	उपमण्डल न्यायधीषों को प्रदान की गई राषि
1–	अम्बाला	30,000/–	अम्बाला	30,000/–
			नारायणगढ़	30,000/–
2	भिवानी	30,000/–	भिवानी	30,000/–
			दादरी	30,000/–
			लोहारू	30,000/–
			सिवानी	30,000/–
3–	फरीदाबाद	30,000/–	बल्लभगढ़	30,000/–
			पलवल	30,000/–
			होडल	30,000/–
			फरीदाबाद	30,000/–
			हथीन	30,000/–
4–	गुड़गांव	30,000/–	गुड़गांव	30,000/–
			नूंह	30,000/–
			फिरोजपुर झिरका	30,000/–

5—	हिसार	30,000 / —	हिसार	30,000 / —
			हांसी	30,000 / —
6—	जीन्द	30,000 / —	जीन्द	30,000 / —
			सफीदों	30,000 / —
			नरवाना	30,000 / —
7—	कुरूक्षेत्र	30,000 / —	थानेसर	30,000 / —
			पेहवा	30,000 / —
8—	करनाल	30,000 / —	करनाल	30,000 / —
			असन्ध	30,000 / —
9—	महेन्द्रगढ़	30,000 / —	नारनौल	30,000 / —
			महेन्द्रगढ़	30,000 / —
10—	पानीपत	30,000 / —	पानीपत	30,000 / —
			समालखा	30,000 / —
11—	पंचकूला	30,000 / —	पंचकुला	30,000 / —
			कालका	30,000 / —
12—	रोहतक	30,000 / —	रोहतक	30,000 / —
			महम	30,000 / —
13—	रिवाड़ी	30,000 / —	रिवाड़ी	30,000 / —
			कोसली	30,000 / —
14—	सोनीपत	30,000 / —	सोनीपत	30,000 / —
			गोहाना	30,000 / —
			गन्नौर	30,000 / —
15—	सिरसा	30,000 / —	सिरसा	30,000 / —
			डबवाली	30,000 / —
			ऐलनाबाद	30,000 / —
16—	यमुनानगर	30,000 / —	जगाधरी	30,000 / —
17—	फतेहाबाद	30,000 / —	फतेहाबाद	30,000 / —
			टोहाना	30,000 / —
			रतिया	30,000 / —
18—	झज्जर	30,000 / —	झज्जर	30,000 / —

			बहादुरगढ़	30,000 / —
19—	कैथल	30,000 / —	कैथल	30,000 / —
			गुहला	30,000 / —
	कुल	**5,70,000**	**कुल**	**14,10,000 / —**

प्रत्येक दहेज निशेध अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में स्थित कालजों, ओद्यौगिक प्रषिक्षण संस्थानों /व्यवसायिक प्रषिक्षण संस्थानों तथा स्कूलों में दहेज विशय पर लेख प्रतियोगिता या वाद—विवाद प्रतियोगिता या पेंटिंग/स्कीट प्रतियोगिता आदि की 5 प्रतियोगिताऐं करवाने, राज्य में दहेज की बुराई से लड़ने के लिए किषोरों में जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रधानाचार्यो को रैली, प्रभात फेरी आदि निकालने, समुदाय लामबन्दी के लिए प्रौढ़ों की खुली प्रतियोगिता करवाने, प्रचार मीडिया की भागीदारी, लोगों में व्यापक जानकारी देने के लिए वार्शिक सम्मेलन आयोजित करवाने के लिए दिषा—निर्देष जारी किए गए।

दहेज निशेध अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों की जानकारी लोगों में पहुंचाने के लिए लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा द्वारा पोस्टर प्रकाषित करवाए गए।

विभाग द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों पर काबू पाने के लिए कई पद्धतियां अपनाकर लोगों में जागृति लाने के प्रयास किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैंः—

1— जागृति जागरण, समुदाय भागीदारी व सामाजिक लामबन्दी सुनिष्चित करने के लिए प्रत्येक गांव/षहर में सबसे ज्यादा पढ़ी—लिखी 10—15 महिलाओं व 4—5 पुरूशों/ लड़कों को षामिल करके एक कोर कन्स्टीच्यूएन्सी स्थापित की जा रही है जोकि लिंग निर्धारण परीक्षणों, दहेज लेने—देने, महिलाओं के प्रति हिंसा बालिकाओं का स्कूलों में पंजीकरण, कम आयु में लड़कियों की षादी, षिषु मृत्युदर, पोशण स्तर, महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण तथा महिलाओं व बच्चों से संबंधित अन्य समस्याओं की मोनिट्रिंग तथा उनसे संबंधित सभी घटनाओं को जिला प्रषासन/कानून लागू करने वाली एजैंसी को सूचित ही नहीं करेंगी अपितु उनकी समस्याओं को हल करने के लिए समुदाय को भी संगठित करेंगी। इस फोरम का नेतृत्व गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी—लिखी महिला करेगी तथा महिला सरपंच/पंच, गांव में स्थित सभी महिला कर्मचारी, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसके पदेन सदस्य होंगे एवं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसकी संयोजक का कार्य करेगी।

2— बाल विवाह अथवा कम आयु में षादी करना सामाजिक बुराई के साथ—2 कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना अति—आवष्यक है। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों,

सुपरवाईजरों व आंगनवाड़ी वर्करों को निर्देष दिए गए कि वह महिलाओं व किषोरी बालिकाओं में जागृति उत्पन्न करें तथा उन्हें 18 वर्श से कम आयु में षादी करने के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं/हानियों के बारे में जानकारी देंवें । लोक सम्पर्क विभाग से भी अनुरोध किया गया कि वह अपने क्षेत्रीय अमले जैसा कि प्रचार मण्डलियों, भजन मण्डलियों आदि के माध्यमों से ग्रामीण स्तर पर बाल विवाह के साथ–2 कन्या भ्रूणहत्या , नषा, धुम्रपान व पर्दा इत्यादि विरूद्ध पर्याप्त प्रचार करें । इसी प्रकार हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड़ को भी बाल विवाह के विरुद्व प्रचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

12.. कामकाजी महिला होस्टल

इस योजना के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सस्ती दरों पर आवासीय सुविधायें जुटाने हेतू स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों/नगरपालिकाओं/महिला विकास निगम/लोक उपक्रम/षिक्षण संस्थाओं/विष्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों को कामकाजी महिला आवास के निर्माण हेतू अनुदान के रूप में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कामकाजी महिलाओं के लिए 13 होस्टल अम्बाला (2), गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, कुरूक्षेत्र, सिरसा, रिवाड़ी, करनाल, भिवानी, हिसार तथा जीन्द में चलाए जा रहे हैं। करनाल तथा भिवानी में होस्टल का प्रबंध संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा किया जा रहा है जबकि षेश जिला रैडक्रास सोसायटियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। जगाधरी, पंचकुला, महम, बहादुरगढ़ में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कामकाजी होस्टलों का निर्माण किया जा रहा है तथा हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृशि विष्वविद्यालय द्वारा होस्टल निर्माणाधीन है। वर्श 2003–04 के दौरान विभाग द्वारा गुरूजम्भेष्वर विष्वविद्यालय, हिसार तथा महार्शि दयानन्द, विष्वविद्यालय, रोहतक के होस्टल निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए जबकि कुरूक्षेत्र विष्वविद्यालय में होस्टल निर्माण का प्रस्ताव पहले ही भारत सरकार के पास लम्बित है।

वर्श 2003–04 में राज्य सरकार द्वारा जिला रैडक्रास सोसाइटी, यमुनानगर को 3.50 लाख रू0 जगाधरी में निर्माणाधीन होस्टल के लिए राज्य हिस्से के रूप में स्वीकृत किए गए ।

13. महिला मण्डलों को मजबूत व उन्नत बनाना

महिला मण्डलों को मजबूत व उन्नत बनाने की योजना का मुख्य उद्वेष्य जन–सहयोग तथा सामाजिक कार्यो में बढ़ावा देकर महिलाओं के आर्थिक स्तर का उत्थान एवं सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति जागृति एवं मार्गदर्षन प्रदान करना है। सोसायटीज रजिस्ट्रेषन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए नए महिला मण्डल को प्रथम बार में 1500/–रू0 की राषि अनुदान के रूप में दी जाती है जिससे वह कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रषिक्षण व आवष्यक

सज्जो–सामान की खरीद पर व्यय कर सकते हैं या कोई अन्य आर्थिक धन्धा चला सकते हैं। दूसरी बार 750/–रू0 तक मैचिंग ग्रांट के रूप में दिये जाते हैं। वर्श 2003–04 के दौरान 108 महिला मण्डलों को 925/–रू0 की दर से अनुदान व 1484 महिला मण्डलों को 750/–रू0 की दर से कुल 12.13 लाख रू0 ग्रांट के रूप में दिए गए तथा वामा (राई) को 100 महिला मण्डलों को प्रषिक्षण दिलवाने हेतू 3.52 लाख रू0 जारी किए गए।

जिलावार महिला मण्डलों की संख्या जिनको सहायता प्रदान की गई है,उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

(रुपयों में)

क्रम संख्या	जिला	महिला मण्डलों की सख्या (925/–रू0 की दर से)	महिला मण्डलों की सख्या (750/–रू0 की दर से)	कुल	स्वीकृत राषि
1	अम्बाला	–	70	70	52,500
2	भिवानी	3	70	73	55,275
3	फरीदाबाद	5	277	282	2,12,375
4	गुड़गांव	5	48	53	40,625
5	हिसार	–	94	94	70,500
6	जीन्द	4	203	207	1,55,950
7	कुरूक्षेत्र	1	60	61	45,925
8	करनाल	24	51	75	60,450
9	महेन्द्रगढ़	7	84	91	69,475
10	पानीपत	–	32	32	24,000
11	पंचकुला	10	29	39	31,000
12	रोहतक	–	9	9	6,750
13	रिवाड़ी	1	32	33	24,925
14	सोनीपत	–	39	39	29,250
15	सिरसा	31	41	72	59,425
16	यमुनानगर	5	235	240	1,80,875
17	फतेहाबाद	12	18	30	24,600
18	झज्जर	–	92	92	69,000

19	कैथल	—	—	—	—
कुल		108	1484	1592	12,12,900
वामा राई		—	—	—	3,52,275
कुल जारी राषि					15,65,175

14. महिला सम्मेलन स्कीम

महिला सम्मेलन योजना के अन्तर्गत महिला मण्डलों को मार्गदर्षन देने तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं तथा महिलाओं से संबंधित अन्य विशयों पर जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक वर्श राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं जिनमें महिला मण्डलों के प्रधान तथा सदस्य भाग लेते हैं। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को उनके विभागों से संबंधित योजनाओं पर प्रकाष डालने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। वर्श 2003–04 में इस योजना के अन्तर्गत 19 जिला स्तरीय महिला मण्डल सम्मेलन व 19 खण्ड स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित करने के लिए सभी कार्यक्रम अधिकारियों को 15000/–रू0 की दर से तथा संबंधित खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी को 5000/–रू0 की दर से राषि जारी की गई। इस योजना के अन्तर्गत 3.80 लाख रू0 की राषि व्यय की गई है।

वर्श के दौरान आयोजित महिला मण्डल सम्मेलनों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.स.	जिस स्थान पर जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया।	जिस स्थान पर ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
1	भिवानी	कैरू
2	फतेहाबाद	भूना
3	कैथल	कलायत
4	अम्बाला	बराड़ा
5	पंचकुला, (रायपुररानी में)	मोरनी
6	करनाल	नीलोखेड़ी
7	पानीपत	मतलौडा
8	सोनीपत	खरखौदा
9	फरीदाबाद	पलवल
10	गुड़गाँव	नगीना

11	रेवाड़ी	खोल
12	नारनौल	नांगल चौधरी
13	सिरसा	बड़ागुढ़ा
14	हिसार	नारनौंद
15	रोहतक	चिड़ी
16	झज्जर	डीघल
17	जीन्द	नरवाना
18	यमुनानगर	छछरौली
19	कुरूक्षेत्र	थानेसर

15– महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार

इस योजना का उद्वेष्य महिला मण्डलों को उन द्वारा किये गये अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिए साधन जुटाना है। महिला मण्डलों के कार्य के आंकलन के आधार पर 'ए' ग्रेड महिला मण्डल को 2000/–रू0 तथा 'बी' ग्रेड महिला मण्डल को 1500/–रू0 तथा 'सी' ग्रेड महिला मण्डल को 1000/–रू0 ईनाम में दिये जाते है। वर्श 2003–04 के दौरान 97 महिला मण्डलों को ईनाम दिए गए एवं 1.33 लाख रू0 व्यय हुए।

जिलावार महिला मण्डलों को दिये गये ईनामों की संख्या निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	जिले का नाम	महिला मण्डलों की संख्या			
		2000 / – रू0	1500 / – रू0	1000 / – रू0	कुल
1	अम्बाला	1	2	3	6
2	भिवानी	1	2	2	5
3	फरीदाबाद	1	2	2	5
4	गुड़गांव	1	2	3	6
5	हिसार	1	2	3	6
6	जीन्द	1	2	2	5
7	कुरूक्षेत्र	1	2	3	6
8	करनाल	1	2	2	5
9	महेन्द्रगढ़	1	2	2	5
10	पानीपत	1	2	2	5
11	पचंकुला	1	2	2	5
12	रोहतक	1	2	3	6
13	रिवाड़ी	1	2	3	6
14	सोनीपत	–	–	–	–
15	सिरसा	1	2	2	5
16	यमुनानगर	1	2	2	5
17	फतेहाबाद	1	2	3	6
18	झज्जर	1	2	2	5
19	कैथल	1	2	2	5
	कुल	**18**	**36**	**43**	**97**

16. अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत महिला मण्डलों के उत्कृश्ट सदस्यों को विभिन्न राज्यों में भेजा गया ताकि वह उन राज्यों में लागू ग्रामीण स्कीमों के कार्यान्वयन को देख सकें तथा वहां की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही लाभप्रद गतिविधियों को अपनाकर अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। सहायता के तौर पर सरकार द्वारा रेल / बस किराया खर्च के लिए अनुदान दिया जाता है। वर्श 2003–04

के दौरान महिला मण्डलों के ग्रुप बनाकर 6 अध्ययन दौरे पंजाब, उत्तर प्रदेष, हिमाचल प्रदेष एवं राजस्थान आदि प्रदेषों में करवाये गये हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत 1.98 लाख रू0 का व्यय हुआ है।

17. प्रोग्राम फार एडवांसमैंट आफ जैण्डर इक्विलिटी' (पेज)

संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या कोश की सहायता से चलाए गए समेकित महिला सषक्तिकरण एवं विकास परियोजना के दूसरे चरण की अवधि 31—12—2002 को समाप्त होने पर संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या कोश, 'प्रोग्राम फार एडवांसमैंट आफ जैण्डर इक्विलिटी' (पेज) कार्यक्रम के अन्तर्गत 350.00 लाख रू0 की अनुमानित लागत से विषेश सीमित कार्यक्रम चलाने हेतू सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया, जोकि महेन्द्रगढ़ जिले में 31—12—2003 तक लागू किया गया व रिवाड़ी जिले में 31—12—2005 तक लागू रहेगा। 'पेज' का उद्देष्य स्वयं सहायता समूह प्रणाली को अपनाकर आर्थिक सषक्तिकरण करना, पुरूश भागीदारी बढ़ाना, स्वास्थ्य प्रणाली के साथ इन्टरफेस सुदृढ़ करना तथा महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी बढ़ाना है। जागृति मण्डलियों को स्वयं सहायता समूहों में बदलने के प्रयास किए गए हैं । वर्श 2003—04 में 200 जागृति मण्डलियों को स्वयं सहायता समूहों में बदल कर विभिन्न प्रकार के प्रषिक्षण आयोजित करवाए गए। परियोजना के अन्तर्गत मास्टर प्रषिक्षकों के पांच बैचों को प्रषिक्षण, स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी पर 35 सभाएं, 39 थीम कैम्पस, 40 स्वास्थ्य मेला, 15 खण्ड स्तरीय महिला सम्मेलन, 40 युवा सम्मेलन एवं 8 एक्सपोजर विजिटस, 50 जन बैठकें एवं 3 कार्यषाला संबंधी गतिविधियां आयोजित की गई। वर्श 2003—04 में संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या कोश द्वारा 69.39 लाख रु0 की राषि जारी की गई।इस परियोजना 'प्रोग्राम फार एडवांसमैंट आफ जैण्डर इक्वीलिटी'(पेज) के अर्न्तगत अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 तक विभिन्न गतिविधियों पर कुल 73.03 लाख रू0 की राषि व्यय की गई।

18— अन्य

समय—2 पर विभिन्न विशयों पर विभागीय गतिविधियों बारे सूचनाएं लोक सम्पर्क विभाग, अर्थ एवं सांख्यकीय विभाग तथा राज्य व भारत सरकार के कार्यालयों को भेजी गई।समय—2 पर प्रैस नोट जारी करके प्रैस के माध्यम से अखबारों में योजनाओं का प्रचार किया गया। इस विभाग द्वारा दिनांक 30.11.2003 से 4.12.2003 तक कुरुक्षेत्र में गीता जयन्ती समारोह के अवसर पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्षनी में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर स्टाल लगाया गया। लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा द्वारा विभाग से संबंधित योजनाओं पर पोस्टर एवं पम्फलेट छपवा कर प्रचार किया गया।

विभाग में एक लघु पुस्तकालय भी है जिसमें वर्श 2003—04 के अन्त में 2460 पुस्तकें थी।

19— अमला

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के नियन्त्रण में जो योजनाएं हैं, इनके अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले की स्थिति को परिषिश्ट–'ख' पर दर्षाया गया है।

विभाग में अमले का युक्तिकरण किया गया है और इसके फलस्वरूप महिला जागृति कार्यक्रम के अन्तर्गत अमले को राज्य सरकार की सहमति से समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से समायोजित करने का निर्णय लिया गया :–

क्र0सं.	महिला जागृति कार्यक्रम के अन्तर्गत पद व संख्या	समेकित बाल विकास सेवाएं योजना में जिस पद पर समायोजित करने का अनुमोदन किया गया व पदों की संख्या	महिला जागृति कार्यक्रम के घटते कैडर में रखे गए पदों की संख्या
1–	लेडी सर्कल सुपरवाईजर–12	बाल विकास परियोजना अधिकारी– 10	2
2–	मुख्य सेविका–80	सुपरवाईजर–75	5
3–	ग्राम सेविका–184	सुपरवाईजर–96 लिपिक–22	66
4–	सेवादार–17	सेवादार / चौकीदार–17	–

इसके अतिरिक्त विभाग में लम्बे समय से पड़े 124 पदों को समाप्त कर दिया गया।

20. हरियाणा महिला विकास निगम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य में हरियाणा महिला विकास निगम कार्यषील है जोकि महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रषिक्षण एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करती है।

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं के लिए एक ऋण योजना चलाई जा रही हैं। निगम द्वारा महिलाओं एवं महिला समूहों को सबसीडी तथा सीमान्त राषि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा ऋणों की व्यवस्था बैंकों से करवाई जाती है। वर्श 2003–04 में निगम द्वारा 2021 महिला लाभपात्रों को सहायता प्रदान की गई जिसमें महिलाओं एवं महिला समूहों को 50.11 लाख रू0 सबसीडी तथा 18.14 लाख रू0 सीमान्त राषि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तथा 461.16 लाख रू0 के ऋणों की व्यवस्था बैंकों से करवाई गई ।

ऋण योजना के अन्तर्गत जिलावार महिला लाभार्थियों की संख्या एवं प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरणः–

क्र. स.	जिला	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता / ऋण प्रबन्ध				
			सबसीडी	सीमान्त राषि	लाभार्थी हिस्सा	बैंक ऋण	कुल

1	अम्बाला	115	2.86	1.75	2.91	27.38	34.90
2	भिवानी	146	2.98	1.42	2.98	28.14	35.52
3	फरीदाबाद	98	2.37	1.01	2.38	22.04	27.80
4	गुड़गाँव	90	2.36	0.41	2.36	20.17	25.30
5	हिसार	153	4.14	1.29	4.60	39.00	49.03
6	जीन्द	111	2.69	0.90	2.87	23.10	29.56
7	कुरूक्षेत्र	127	2.78	1.21	2.78	20.00	26.77
8	करनाल	97	3.11	0.50	3.19	27.02	33.82
9	नारनौल	128	2.67	0.47	2.70	22.73	28.57
10	पानीपत	95	2.80	0.88	2.80	26.19	32.67
11	पंचकुला	66	2.14	—	2.17	17.87	22.18
12	रोहतक	149	3.22	5.36	3.22	49.14	60.94
13	रेवाड़ी	109	2.75	—	3.06	23.27	29.08
14	सोनीपत	101	2.63	1.70	2.63	26.11	33.07
15	सिरसा	129	2.74	0.25	2.74	22.70	28.43
16	यमुनानगर	96	2.51	0.29	2.51	20.95	26.26
17	फतेहाबाद	30	0.98	—	0.98	7.80	9.76
18	झज्जर	65	1.81	0.70	1.92	17.03	21.46
19	कैथल	116	2.57	—	2.56	20.52	25.65
	कुल	**2021**	**50.11**	**18.14**	**51.36**	**461.16**	**580.77**

महिलाओं में आय–उपार्जन गतिविधियों के लिए कौषल विकसित करने के लिए निगम द्वारा 300 महिलाओं को व्यवसायिक प्रषिक्षण दिया गया जबकि 420 महिलाओं को 'स्वावलम्बन योजना' के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से व्यवसायिक प्रषिक्षण दिलवाया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्श 2003–04 में निगम को 200.00 लाख रू0 की राषि सरकार द्वारा जारी की गई जिसमें से 90.00 लाख रूपये सबसीडी, 35.00 लाख रू. हिस्सा पूंजी तथा 75.00 लाख रू0 प्रषासकीय व्यय की मदों हेतू स्वीकृत किये गये।

21– स्व–षक्ति परियोजना

भारत सरकार द्वारा सोनीपत, जीन्द तथा भिवानी जिलों के लिए 16.88 करोड़ रूपये की लागत का विष्व बैंक/आई0 एफ0 ए0 डी0 की सहायता प्राप्त ग्रामीण महिला विकास एवं सषक्तिकरण परियोजना (स्वषक्ति परियोजना) स्वीकृत है, जिसे हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लागू किया जा रहा है।

इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से है जिसमें केवल बचत एवं आय–उपार्जन के कार्यकलापों को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि महिला सहयोगी सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना भी है। परियोजना का बल महिला स्वयं सहायता समूहों को विकसित करना है। परियोजना क्षेत्र में वर्श 2003–04 तक गांवों में 1410 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन 13 स्वैच्छिक संस्थाओं को भागीदार बनाकर उनके माध्यम से किया गया है, जिन्हें क्षमता निर्माण पर प्रषिक्षण दिया गया। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सषक्त बनाने के लिए कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों पर प्रषिक्षण दिया गया जिसके फलस्वरूप 2891 महिलाओं ने आय उपार्जन गतिविधियां प्रारम्भ की हैं। महिलाओं को बचत करने के लिए प्रेरित करने के कारण 1382 स्वयं सहायता समूहों ने बैंक खाते खुलवा कर 185.05 लाख रूपये की बचतें की तथा 174.55 लाख रू0 के आपसी ऋण का लेन–देन उत्पादन एवं उपभोग के उद्देष्यों के लिए किया गया। परियोजना क्षेत्र में 53 सेवा केन्द्र एवं 5 कम्पयूटर केन्द्र स्थापित किए गए , जिन्हें प्रभावषाली संचार केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

वर्श 2003–2004 में इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर 91.35 लाख रू0 व्यय किये गये।

महिलाओं में जागृति जागरण के लिए अवलोकन यात्राएं (एक्सपोजर विजिट), थीम कैम्पस, कठपुतली कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक तथा टेली–कान्फ्रेन्सों का आयोजन किया गया है ।

22. वुमैन अवेयरनैस एण्ड मैनेजमैन्ट अकादमी –'वामा'

राई ;जिला सोनीपतद्ध में आधारभूत महिला कार्यकर्ताओं के प्रषिक्षण के लिए वूमैन अवेयरनैस एण्ड मैनजमैंट अकादमी 'वामा' चलाई जा रही है। । राज्य सरकार ने इस संस्था को अपग्रेड करके रीजनल लेवल जैण्डर ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट बनाया है जिसमें जैण्डर संवेदनषीलता विशयों पर प्रषिक्षण दिया जायेगा।

वर्श 2003–04 में इस संस्था ने 203 क्षेत्रीय महिला कार्यकर्ताओं को प्रषिक्षण दिया है।

23. हरियाणा राज्य महिला आयोग

महिलाओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके समुचित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 3055–एस0 डब्ल्यू0 ;4द्ध 99, दिनांक 20–12–99 के अन्तर्गत राज्य महिला आयोग का गठन किया है, जो कि कार्यरत है।

राश्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने 22–24 अप्रैल, 2003 को हरियाणा राज्य का दौरा किया। इस विजिट के दौरान राश्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिंनाक 22–4–2003 को स्वैच्छिक संस्थाओं एवं कुछ विभागों के साथ विचार–विमर्ष सभा, दिंनाक 23–4–2003 को कुरूक्षेत्र विष्व विद्यालय के सहयोग से कुरूक्षेत्र में पर्सनल लॉ पर वर्कषाप तथा दिंनाक 24–4–2003 को विभिन्न विभागों के प्रषासनिक सचिवों/विभागाध्यक्षों के साथ जैण्डर प्रोफाईल तैयार करने पर विचार विमर्ष हेतु मीटिंग आयोजित करवाई गई।

आयोग द्वारा वर्श 2003–04 में अपनी 4 द्विमासिक बैठकें आयोजित की गई। वर्श 2003–04 में पीड़ित महिलाओं से सम्बन्धित षिकायतों के निराकरण के लिए कुल 1555 लोगों ने आयोग से सर्म्पक किया है। उनकी षिकायतों का हल ढूंढ़ने एवं उनके कश्टों के निवारण के लिए खण्ड स्तर पर सुनवाईयों के लिए आयोग ने 19 बैठकें की, जिनमें 1198 षिकायतों के निपटान के लिए कार्यवाही की गई एवं मार्गदर्षन व परामर्ष सेवाएं भी दी गई। राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग को वर्श 2003–04 में 22.00 लाख रू0 जारी किये। राज्य सरकार ने आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तथा गैर सरकारी सदस्यों के कार्यकाल वर्तमान षर्तों पर 1–1–2004 से 31–12–2004 तक बढ़ा दिया है।

24. हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को राज्य बोर्ड के मुख्यालय स्थापना व्यय का 50 प्रतिशत तथा चेयरमैन के भत्ते, पी.ओ.एल, आदि के व्यय के लिए शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त 9 परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। अब यह परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाएं बन्द कर दी गई हैं। इस वित्त वर्श में इस बोर्ड को 194.28 लाख रू0 की राषि जारी की गई जिसमें परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाएं बन्द करने के कारण कर्मचारियों को मुआवजा मुख्यालय स्थापना व चेयरमैन के भत्तों व पी. ओ. एल. का व्यय षामिल है।

25. भारत सरकार की सहायक अनुदान योजनाएं

क. स्वाधार

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को आश्रय देने व पूर्नवास सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वाधार योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा 7 स्वैच्छिक सस्थाओं के प्रोजेक्ट भारत सरकार को फंड स्वीकृत करने के लिए भेजे गए।

ख. षार्ट स्टे होम

इस योजना के अन्तर्गत 4 स्वैच्छिक सस्थाओं के प्रोजेक्ट भारत सरकार को स्वीकृत करने हेतु भेजे गए।

ग. स्वावलम्बन (नोराड)

स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत 56 स्वैच्छिक सस्थाओं के प्रोजेक्ट जिनकी कुल राषि 395.00 लाख रुपए है, स्वीकृत करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा भारत सरकार को भेजे गए।

———————

परिषिश्ट– 'ख'

महिला एवं बाल विकास निदेषालय की मुख्यालय पर 31.03.2004 को अमले की स्थिति

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	निदेषक, (आई0ए0एस)	1	1	–
2	अपर निदेषक, (आई0ए0एस)	1	1 (अतिरिक्त कार्यभार)	–
3	अपर निदेषक	1	–	1
4	सयुंक्त निदेषक	1	–	1
5	उप निदेषक	3	2	1
6	वरिश्ठ लेखा अधिकारी	1	1	–
7	लेखा अधिकारी	2	2	–
8	प्रचार अधिकारी	1	1	–
9	सहायक जिला न्यायवादी	1	–	1
10	कार्यक्रम अधिकारी	3	3	–
11	पोशाहारिका	1	1	–
12	सहायक निदेषक (तकनीकी)	1	1	–
13	अधीक्षक	4	4	–
14	उप–अधीक्षक	1	1	–
15	अनुभाग अधिकारी	2	1	1
16	समाज कल्याण अधिकारी	1	1	–
17	अनुसंधान अधिकारी	1	1	–
18	सहायक निदेषक	2	2	–
19	सहायक प्रभारी	1	1	–
20	आंकडा सहायक	3	3	–
21.	सहायक / लेखाकार	31	31	–
22.	निजी सहायक	1	1	–
23.	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	2	1	1
24.	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	4	4	–
25.	स्टैनों टाईपिस्ट	16	7	9
26.	चालक	5	4	1
27.	लिपिक / लेखा लिपिक	22	19	3
28.	सेवादार	21	19	2
29	चौकीदार	1	1	–
30.	स्वीपर–कम–चौकीदार	2	1	1

क्षेत्रीय अमले की स्थिति (31–3–2004)

क0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	कार्यक्रम अधिकारी	19	17	2
2	पोशाहारिका	4	–	4
3	अधीक्षक	19	17	2
4	लेडी सर्कल सुपरवाईजर	2	2	–
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी	121	101	20
6	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	5	2	3
7	मैनेजर पंजीरी प्लांट	2	–	2
8	आंकडा सहायक	135	121	14
9	सहायक/लेखाकार	173	148	25
10	सुपरवाईजर	673	670	3
11	मुख्य सेविका	5	5	–
12	ग्राम सेविका	40	40	–
13	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	6	4	2
14	स्टैनों टाईपिस्ट	13	7	6
15	लिपिक/लेखा लिपिक	160	155	5
16	तकनीकी सुपरवाईजर	4	4	–
17	चालक	139	73	66
18	हैल्पर	1	1	–
19	सेवादार	160	153	7
20	चौकीदार	74	71	3
21	स्वीपर–कम–चौकीदार	2	2	–
22	लेबर	22	22	–

विभाग में सृजित किए समय से/लम्बे समय से रिक्त पदों को समाप्त किए गए पदों का विवरण :–

क्रम स.	श्रेणी	पद का नाम	समाप्त किए गए पदेां की सख्या
1	II	पोशाहारिका	7
2	II	प्रिसिपल	12
3	II	प्री– स्कूल अनुदेषक	12
4	III	समाज कल्याण अनुदेषक	12
5	III	स्वास्थ्य अनुदेषक	12
6	III	अनुदेषक (एल.एच.वी.)	24
7	III	सहायक/लेखाकार	12
8	III	विधि सहायक	1
9	III	सहायक लाईब्रेरियन	1
10	III	निरीक्षक	6
11	III	मषीनमैन	1
12	IV	सेवादार	12
13	IV	चौकीदार	12
		कुल	124

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा का वर्श 2003–04 का बजट अनुमान संषोधित बजट, वास्तविक व्यय

परिशिश्ट–'क'

(लाख रू0 में)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान (2002.–2003)				संषोधित बजट (2002–03)				वास्तविक व्यय (2002.–2003)			
		स्टेट प्लान	सैन्ट्र्ल प्लान	नॉन प्लान	कुल	स्टेट प्लान	सैन्ट्र्ल प्लान	नॉन प्लान	कुल	स्टेट प्लान	सैन्ट्र्ल प्लान	नॉन प्लान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	निदेषालय अमला	–	–	98.08	98.08	20.00	–	98.38	118.38	20.00	–	99.78	119.78
2.	प्लानिंग–कम –मोनीटरिंग सैल	1.00	–	–	1.00	1.00	–	–	1.00	0.78	–	–	0.78
3.	जवाहर बाल भवन	–	–	0.10	0.10	–	–	0.10	0.10	–	–	0.10	0.10
4.	समेकित बाल विकास सेवाएं योजना	360.00	4735.50	157.52	5253.02	14.00	5364.72	16.03	5394.75	13.38	5372..12	13.77	5399.27
5.	आई0सी0डी0 एस0योजना का विस्तार	–	0.50	–	0.50	–	–	–		–	–	–	–
6.	आंगनवाड़ी प्रषिक्षण केन्द्रों की स्थापना ;उदीषाद्ध	–	150.00	–	150.00	–	100.00	–	100.00	–	83.84	–	83.84
7.	अपनी बेटी अपना धन	315.50	–	–	315.50	305.00	–	–	305.00	267.82	–	–	267.82
8.	किषोरी षक्ति योजना	–	35.50	–	35.50	–	35.50	–	35.50	–	28.95	–	28.95
9.	बालिका समृद्धि योजना	–	91.60	–	91.60	–	25.00	–	25.00	–	–	–	–
10.	महिलाओं के लिए प्रषिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र ;स्टाईफैण्डरी स्कीमद्ध	13.00	–	–	13.00	50.00	–	–	50.00	50.00	–	–	50.00
11.	दहेज निशेध कार्यक्रम	2.00	–	–	2.00	20.00	–	–	20.00	19.80	–	–	19.80
12.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल निमार्ण	–	–	4.00	4.00	–	–	4.00	4.00	–	–	3.50	3.50
13.	महिला मण्डलों को	6.00	–	–	6.00	16.00	–	–	16.00	15.65	–	–	15.65

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान (2002.–2003)				संषोधित बजट (2002–03)				वास्तविक व्यय (2002.–2003)			
		स्टेट प्लान	सैन्ट्र्ल प्लान	नॉन प्लान	कुल	स्टेट प्लान	सैन्ट्र्ल प्लान	नॉन प्लान	कुल	स्टेट प्लान	सैन्ट्र्ल प्लान	नॉन प्लान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	सुदृढ़ एवं उन्नत बनाना												
14.	महिला सम्मेलन स्कीम	4.00	—	—	4.00	4.00	—	—	4.00	3.80	—	—	3.80
15.	अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम	2.00	—	—	2.00	2.00	—	—	2.00	1.98	—	—	1.98
16.	महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार	0.80	—	0.60	1.40	0.80	—	0.60	1.40	0.73	—	0.60	1.33
17.	राश्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	महिला विंग का जिला एवं खण्ड स्तरीय अमला	—	—	303.96	303.96	—	—	221.14	221.14	—	—	226.63	226.63
19.	स्वंयसिद्धा	—	144.10	—	144.10	—	69.00	—	69.00	—	4536	—	45.36
20.	हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहाकर बोर्ड को सहायक अनुदान व परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाएं	—	—	89.44	89.44	—	—	190.45	190.45	—	—	194.28	194.28
21.	स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता	—	—	7.00	7.00	—	—	7.00	7.00	—	—	7.00	7.00
22.	हरियाणा महिला विकास निगम ;अन्य व्ययद्ध सबसीडी हिस्सा पूंजी	— 90.00 35.00	— — —	75.00 — —	75.00 90.00 35.00	— 90.00 35.00	— — —	75.00 — —	75.00 90.00 35.00	— 90.00 35.00	— — —	75.00 — —	75.00 90.00 35.00

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान (2002.–2003)				संषोधित बजट (2002–03)				वास्तविक व्यय (2002.–2003)			
		स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	समेकित महिला सषक्तिकरण एवं विकास परियोजना ;यू0एन0एफ0पी0ए0द्ध	—	—	—	—	146.00	—	—	146.00	69.39	—	—	69.39
24	समेकित महिला सषक्तिकरण एवं विकास परियोजना (जी0ठी.जेड)	238.00	—	—	238.00	—	—	—	—	—	—	—	—
25	हरियाणा राज्य महिला आयोग	—	—	30.00	30.00	—	—	30.00	30.00	—	—	22.00	22.00
26	आंगनवाडी केन्द्रों के भवन निर्माण योजना	232.70	—	—	232.70	296.20	188.43	—	484.63	295.92	243.67	—	639.59
27.	पूरक पोशाहार कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस.)	171.00	—	3399.00	3570.00	171.00	—	3399.01	4170.01	175.72	—	3998.53	4174.25
28.	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना	281.85	—	—	281.85	281.85	—	—	281.85	278.96	—	—	278.96
29.	किषोरी षक्ति योजना ;एस0एन0पी0द्ध	120.00	—	—	120.00	296.00	—	—	296.00	290.12	—	—	290.12
30	नए पंजीरी प्लांट योजना	627.15	0.50	—	627.65	51.15	—	—	51.15	42.52	—	—	42.52
31	विषेश केन्द्रीय सहायता योजना(एस.एन.पी.)	—	—	—	—	—	98.44	—	98.44	—	52.32	—	52.32
	कुल योग	2500.00	5157.70	4165.54	11823.24	1800.00	5881.09	4641.71	12322.80	1671.57	5926.26	4641.19	12239.02